अध्ययन दल

परियोजना संचालक

श्री अखिलेश अर्गल, संचालक (सुशासन)

परियोजना दल

श्रीमती ऋचा मिश्रा, कार्यक्रम समन्वयक (सुशासन)

श्री गौरव अग्रवाल, परियोजना अधिकारी (नीति विश्लेषण)

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

प्रस्तावना i

अध्ययन सारांश ii-v

अध्याय एकः पृष्ठभूमि

1.1 सामान्य 1

1.2 डीज़ल पंप योजना 1

1.3 योजना का तकनीकी विवरण 2-3

- 1.3.1 कार्यक्षेत्र
- 1.3.2 डीज़ल पंप योजना के उद्देश्य
- 1.3.3 योजना हेतु कार्यनीति
- 1.3.4 योजना अंतर्गत देय अनुदान
- 1.3.5 हितग्राही चयन मापदंड

अध्याय दोः अध्ययन की कार्यविधि

2.1 पृष्ठभूमि 4

2.2 अध्ययन के उद्देश्य 4

2.3 अध्ययन की रूपरेखा 4-9

- 2.3.1 अध्ययन हेतु जिले, विकासखंड एवं ग्राम का चयन
- 2.3.2 अध्ययन हेतु प्रतिभागी
- 2.3.3 उत्तरदाताओं की संख्या
- 2.3.4 अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण
  - 2.3.4.1 प्रश्नावली
  - 2.3.4.2 समूह चर्चा
- 2.3.5 नमूना परीक्षण एवं प्रश्नावली सुधार
- 2.3.6 वालिन्टियर्स का प्रशिक्षण
- 2.3.7 आँकड़ों का संग्रहण
- 2.3.8 आँकड़ो का परीक्षण एवं संकलन
- 2.3.9 आँकड़ो का विश्लेषण

2.4 निष्कर्ष एवं सुझाव 9

अध्याय तीनः आँकड़ों का विश्लेषण

उत्तरदाताओं की सामान्य जानकारी

3.1 सामाजिक पृष्ठभूमि 10-11

- 3.1.1 जातिवार विवरण
- 3.1.2 शैक्षिक विवरण

3.2 आर्थिक पृष्ठभूमि 11-15
3.2.1 आर्थिक श्रेणीवार विवरण
3.2.2 आय के मुख्य स्त्रोत
3.2.3 मासिक आय की स्थिति
3.2.4 उपलब्ध सिंचाई स्त्रोंतो का विवरण
3.2.5 सिंचाई साधनों में जल उपलब्धता की स्थिति
3.2.6 हितग्राहियों का कृषक श्रेणी वर्गीकरण
3.3 योजना क्रियान्वयन की स्थिति 15-20
3.3.1 हितग्राही चयन में ग्रामसभा की भूमिका
3.3.2 हितग्राहियों द्वारा पंप खरीदने का स्थान
3.3.3 हितग्राहियों द्वारा पंप खरीदने की एजेन्सी
3.3.4 हितग्राहियों के पंप की क्षमता
3.3.5 हितग्राहियों द्वारा क्रय किये गये पंप की कीमत
3.3.6 हितग्राहियों को किसी स्थान विशेष से पंप खरीदने की बाध्यता
3.3.7 बाध्य किये जाने में संस्थाओं की भूमिका
3.3.8 डीजल पंप की गुणवत्ता (आई.एस.आइ. मार्क) की स्थिति
3.3.9 पंप क्रय के अतिरिक्त अन्य स्थान पर राशि खर्च किये जाने की स्थिति
3.4 योजना की प्रभावशीलता 20-26
3.4.1 योजना उपरान्त सिंचित भूमि के रकबे में परिवर्तन की स्थिति
3.4.2 हितग्राहियों के निवास से डीज़ल/पेट्रोल पंप की दूरी
3.4.3 डीज़ल प्राप्त करने में परेशानी
3.4.4 योजना उपरान्त फसल उत्पादन में वृद्धि की स्थिति
3.4.5 योजना का लाभ लेने में आने वाली समस्याओं का विवरण
3.4.6 डीज़ल पंप किराये पर देने की स्थिति
3.4.7 डीज़ल पंप के रख–रखाव की समस्या
3.4.8 पंप रख–रखाव में आने वाली समस्याओं का विवरण
3.5 योजना में सुधार के संबंध में हितग्राहियों के सुझाव

अध्याय चार : निष्कर्ष एवं अनुशंसाऐं

निष्कर्ष

4.1 डीज़ल पपं योजना के क्रियान्वयन की स्थिति 27-28
4.1.1 हितग्राहियों का चयन
4.1.2 हितग्राही चयन में ग्रामसभा की सहभागिता
4.1.3 पंप की गुणवत्ता, क्रय करने के स्थान की स्वतंत्रता
4.2 योजना की प्रभावशीलता 28-29

अनुशंसाएं

4.3 हितग्राही चयन 29
4.4 पंप क्रय हेतु स्थान चयन की स्वतंत्रता एवं रख–रखाव व्यवस्था 30
4.5 प्रचार–प्रसार एवं विभाग की योजनाओं के साथ अभिसरण (कन्वर्जेंस) 30

अध्याय पॉच : परिशिष्ट

परिशिष्ट एकः तालिकायें

उत्तरदाताओं की सामान्य जानकारी

5.1 सामाजिक प्रस्थिति

तालिका: 5.1.1 जातिवार विवरण 31

तालिका: 5.1.2 शैक्षिक विवरण 31

5.2 आर्थिक पृष्ठभूमि

तालिका: 5.2.1 आर्थिक श्रेणीवार विवरण 31

तालिका: 5.2.2 आय के मुख्य स्त्रोत 32

तालिका: 5.2.3 मासिक आय की स्थिति 32

तालिका: 5.2.4 सिंचाई के स्त्रोतों का विवरण 32

तालिका: 5.2.5 सिंचाई साधनों में जल उपलब्धता की स्थिति 32

तालिका: 5.2.6 हितग्राहियों का कृषक श्रेणी वर्गीकरण 33

5.3 योजना क्रियान्वयन की स्थिति

तालिका: 5.3.1 हितग्राही चयन में ग्रामसभा की भूमिका 33

तालिका: 5.3.2 हितग्राहियों द्वारा पंप खरीदे जाने का स्थान 33

तालिका: 5.3.3 हितग्राहियों द्वारा पंप खरीदने की एजेन्सी 33

तालिका: 5.3.4 हितग्राहियों के पंप की क्षमता 34

तालिका: 5.3.5 हितग्राहियों द्वारा क्रय किये गये पंप की कीमत 34

तालिका: 5.3.6 हितग्राहियों को किसी स्थान विशेष से पंप खरीदने की बाध्यता 34

तालिका: 5.3.7 बाध्य किये जाने में संस्थाओं की भूमिका 34

तालिका: 5.3.8 डीजल पंप की गुणवत्ता (आई.एस.आई. मार्क) की स्थिति 35

तालिका: 5.3.9 पंप क्रय के अतिरिक्त अन्य स्थान पर राशि खर्च किये जाने की स्थिति 35

5.4 योजना की प्रभावशीलता 35

तालिका: 5.4.1 योजना उपरान्त सिंचित भूमि के रकबे में परिवर्तन की स्थिति

तालिका: 5.4.2 हितग्राहियों के निवास से डीज़ल/पेट्रोल पंप की दूरी 35

तालिका: 5.4.3 डीज़ल प्राप्त करने में परेशानी 36

तालिका: 5.4.4 योजना उपरान्त फसल में उत्पादन में वृद्धि की स्थिति 36

तालिका: 5.4.5 योजना का लाभ लेने में आने वाली समस्याओं का विवरण 36

तालिका: 5.4.6 डीज़ल पंप किराये पर देने की स्थिति एवं आय 37

तालिका: 5.4.7 डीज़ल पंप के रख–रखाव की समस्यॉ 37

तालिका: 5.4.8 पंप रख–रखाव में आने वाली समस्याओं का विवरण 37

परिशिष्ट दोः प्रश्नावली 38-41

प्रस्तावना

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल के विभिन्न उद्देश्यों में से एक शासकीय नीतियों का विश्लेषण तथा लक्ष्य समूह पर उनके प्रभाव का ऑकलन करना है। इस उद्देश्य के परिपालन में चुने हुए राष्ट्रीय संस्थानों के इन्टर्न (Intern), अनुभवी विशेषज्ञों, तथा स्कूल के कोर स्टाफ द्वारा संबंधित शासकीय अधिकारियों के सहयोग से योजनाओं, उनके क्रियान्वयन तथा परिणाम संबंधी अध्ययन समय–समय पर किये जाते रहे हैं। ऐसे अध्ययन, हितग्राहियों के मत, उनकी अपेक्षाओं और क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों एवं अन्य से प्राप्त सुझावों के विश्लेषण पर आधारित होते है।

''डीजल पंप योजना'' के प्रभाव का आंकलन भी इसी तरह के अध्ययन की कड़ी का एक हिस्सा है, जिसके लिये किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा अनुरोध किया गया था। यह अध्ययन परियोजना के संचालक श्री अखिलेश अर्गल, संचालक (सुशासन) एवं उनके सहयोगी श्री गौरव अग्रवाल, परियोजना अधिकारी (नीति विश्लेषण) द्वारा पूर्ण किया गया है। उनका प्रयास सराहनीय है और हमें आशा है कि प्रस्तुत अध्ययन कार्यक्रम विशेष की वर्तमान स्थिति, क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों तथा जन अपेक्षाओं से अवगत होकर बेहतर व्यवस्था स्थापित करने में सहायक होगा।

दिनॉक : 30.09.2011

(एच.पी. दीक्षित)
महानिदेशक
सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल,
भोपाल

अध्ययन सारांश

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल मध्यप्रदेश शासन की एक स्वशासी संस्था है। स्कूल का मुख्य उद्देश्य शासन की नीतियों एवं कार्यक्रमों का विश्लेषण करना है एवं इसी उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में स्कूल द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अनुरोध पर ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन'' अन्तर्गत संचालित महत्वपूर्ण ''डीज़ल पंप उपयोजना'' के प्रभाव आंकलन का अध्ययन किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत ''डीज़ल पंप उपयोजना'' वर्ष 2007 से संचालित है। डीज़ल पंप उपयोजना का क्रियान्वयन प्रदेश के उन ज़िलों में किया जा रहा है, जो इस मिशन अंतर्गत शामिल किये गये है एवं जहॉ गेहूँ, धान एवं दलहन का उत्पादन किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2011–12 तक गेहूँ, धान एवं दलहनी फसलों के उत्पादन को क्रमशः 8, 10 एवं 2 मिलियन टन तक बढ़ाना है। डीज़ल पंप उपयोजना का मुख्य लक्ष्य डीज़ल पंप प्रदाय कर उपलब्ध सिंचाई साधनों के समुचित दोहन से कृषि भूमि के सिंचित रकबे को बढ़ाना है, ताकि फसलों का उत्पादन, कृषकों की आर्थिक सम्पन्नता और आत्मविश्वास बढ़ सके।

योजना को संचालित हुए लगभग 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। विभाग द्वारा अध्ययन के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है, कि वास्तव में योजना जिस लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संचालित की गई है वे लक्ष्य एवं उद्देश्य पूरे हो पा रहे हैं अथवा नहीं? वर्तमान अध्ययन का मुख्य उद्देश्य डीज़ल पंप योजना की प्रासंगिकता एवं उपयोगिता जानना, हितग्राही के पास उपलब्ध सिंचित कृषि भूमि के रकबे एवं फसल उत्पादन में वृद्धि का मूल्यांकन करना तथा सेवाप्रदाय प्रणाली कितनी प्रभावी रही है, इसका अध्ययन कर प्रदाय प्रणाली में सुधार के लिये कारकों की पहचान करना है।

अध्ययन हेतु प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत शामिल ज़िलों में से दो जिलों (बैतूल एवं शहडोल) का चयन रेण्डम आधार पर किया गया है। इनमें से एक ज़िला (बैतूल) गेहूँ उत्पादन वाले जिलों में से एवं एक जिला (शहडोल) धान उत्पादन वाले जिलों में से चयनित किया गया है। प्रत्येक ज़िले से 200 हितग्राहियों इस प्रकार कुल 400 हितग्राहियों के अध्ययन का

लक्ष्य रखा गया था। अध्ययन में विकासखंड एवं ग्रामों की संख्या के स्थान पर हितग्राहियों की संख्या पर केन्द्रण किया गया है। तद्नुसार कुल 9 विकासखंड (बैतूल–4 विकासखंड, शहडोल–5 विकासखंड) एवं 131 ग्राम अध्ययन में शामिल किये गये हैं। अध्ययन हेतु मुख्य रूप से दो उपकरणों– प्रश्नावली एवं समूह चर्चा का उपयोग किया गया है।

अध्ययन में शामिल 400 हितग्राहियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य का प्रतिशत क्रमशः 8, 34, 42 एवं 16 है। हितग्राहियों में 30 प्रतिशत अशिक्षित, 22 प्रतिशत प्राथमिक, 13 प्रतिशत माध्यमिक, 11 प्रतिशत हाईस्कूल एवं शेष 25 प्रतिशत हायर सेकेण्डरी अथवा उससे अधिक शैक्षणिक स्तर के है।

अध्ययन में यह बात उभरकर सामने आई है कि हितग्राहियों के चयन में योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। चयनित हितग्राहियों में 99 प्रतिशत की आय का मुख्य स्त्रोत खेती होना, सभी के हितग्राहियों के पास सिंचाई स्त्रोतों की उपलब्धता होना एवं 98 प्रतिशत हितग्राहियों में सिचांई स्त्रोतों में 06 माह या इससे अधिक समय तक पानी की उपलब्धता होना, लघु एवं सीमान्त कृषको का प्रतिशत 65 होना, सही हितग्राही चुने जाने का प्रतीक है। परंतु हितग्राही चयन में कुछ अन्य बिन्दुओं की पूर्ति नहीं हुई है, जैसे कि अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों का प्रतिशत इस समुदाय की जिले में जनसंख्या के अनुपात में होना, बी.पी.एल. के हितग्राहियों को प्राथमिकता न मिलना (हितग्राहियों में ए.पी.एल. का प्रतिशत 72 है) मुख्य है।

अध्ययन अनुसार 60 प्रतिशत हितग्राहियों के चयन में ग्रामसभा की भूमिका दृष्टिगोचर नहीं हुई है। बैतूल जिले में यह स्थिति ज्यादा चिंताजनक है जहां 67 प्रतिशत हितग्राहियों के चयन में ग्रामसभा की कोई भूमिका नहीं रही है, जबकि शहडोल में यह प्रतिशत 52 है।

शत प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा आई.एस.आई. मार्क के पंप क्रय किये गये है, जो कि योजना की गुणवत्ता बनाये रखने का द्योतक है। यद्यपि 95 प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा बताया गया है कि उन्हें किसी एंजेसी विशेष से पंप खरीदने हेतु बाध्य नहीं किया गया है, परंतु 90 प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा शासकीय एंजेसी (एम.पी. एग्रो) से पंप क्रय किये गये है एवं मात्र 10 प्रतिशत

हितग्राहियों ने ही खुले बाजार से पंप क्रय किये है। इससे प्रतीत होता है कि शासकीय एंजेसी से पंप खरीदने हेतु अनाधिकारिक रूप से दबाब था, जो कि उचित नहीं है। पंप क्रय करने के स्थान की हितग्राही को स्वतंत्रता होनी चाहिए। जिन हितग्राहियों को एंजेसी विशेष से पंप क्रय करने के लिए बाध्य किया गया है उसमे विभाग की भूमिका (90 प्रतिशत प्रकरणों) मुख्य रही है। अन्य हितग्राहियों को इस हेतु ग्राम पंचायत द्वारा बाध्य किया गया हैं।

हितग्राहियों को डीज़ल पम्प प्राप्त होने के बाद उनकी सिंचित भूमि के रकवे में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो कि योजना के मूल उद्देश्य की प्रतिपूर्ति का संकेत है। सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि की स्थिति शहडोल जिले में अपेक्षाकृत अधिक है। फसलों के उत्पादन में वृद्धि के भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। योजना का लाभ लेने के उपरांत हितग्राहियों के गेहूँ उत्पादन में 76 प्रतिशत, धान उत्पादन में 52 प्रतिशत एवं दलहन तथा सोयाबीन में क्रमशः 98 एवं 41 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है। यहॉ भी शहडोल ज़िले की स्थिति बैतूल की तुलना में बेहतर है।

अधिकांश हितग्राहियों (85 प्रतिशत से अधिक) को डीजल प्राप्त करने अथवा पंप के रख–रखाव संबंधी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। शेष हितग्राहियों को रख–रखाव संबंधी जो परेशानियां हुई है, उनमे पंप मरम्मत हेतु मैकेनिक न मिलना एवं स्पेयर पार्टस की समस्या मुख्य है।

अध्ययन के आधार पर यह बात उभर कर सामने आई है कि हितग्राही चयन में ग्रामसभा की सहभागिता बढ़ाने, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों का प्रतिशत योजना के मापदण्ड अनुसार कम से कम जिले में इन समुदाय की जनसंख्या के अनुरूप करने एवं बी.पी.एल. कृषको को प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है, जिससे कि योजना की भावना के अनुरूप आर्थिक रूप से कमजोर कृषको में आत्मविश्वास की भावना पैदा की जा सके।

ऑकडों के विश्लेषण तथा समूह चर्चा में परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से हितग्राही के पंप क्रय के स्थान चयन की स्वतंत्रता को प्रभावित किये जाने की बात सामने आई है। इस प्रक्रिया पर अंकुश लगाया जााना चाहिए। डीजल पंप के रख–रखाव में मुख्य समस्या मरम्मत हेतु मैकेनिक न

मिलना एवं स्पेयर पार्टस की उपलब्धता सामने आई है। इस समस्या को दूर करने के लिए पंचायत स्तर पर 4–5 हितग्राहियों को डीज़ल पंप मरम्मत से संबंधित मूलभूत प्रशिक्षण दिया जा सकता है, ताकि पंप मरम्मत के लिए हितग्राहियों को परेशान न होना पड़े। विभागीय अमले द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान रख–रखाव संबंधी समस्याओं के समुचित मार्ग दर्शन एवं समन्वय का कार्य किया जाना चाहिए।

हितग्राही चयन करते समय विभाग द्वारा इसी उद्देश्य के लिए संचालित अन्य योजनाओं जैसे–सूरजधारा योजना के हितग्राही, जिनके पास सिंचाई साधनों की उपलब्धता है, के साथ Convergence किया जा सकता है जिससे दोनों योजनाओं के मूल उद्देश्यों की पूर्ति ज्यादा बेहतर और सुदृढ़ ढंग से हो सके। समूह चर्चा के दौरान हितग्राहियों में योजना के बारे में जानकारी की कमी पाई गई ृहै। अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं उसकी अन्य उपयोजनाओं के बारे में कृषकों में प्रचार–प्रसार को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए।

अध्याय एक–पृष्ठभूमि

1.1 सामान्य

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल मध्यप्रदेश शासन की स्वशासी संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। स्कूल एक पंजीकृत संस्था के रूप में कार्य करता है। स्कूल के शासी निकाय एवं कार्यकारी निकाय के अध्यक्ष क्रमशः मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश एवं मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन हैं। स्कूल के मुख्य उद्देश्य सुशासन के क्षेत्र में वैश्विक एवं स्थानीय परिपेक्ष्य में 'थिंक टैंक' के रूप में कार्य करना, सुशासन के विभिन्न आयामों का विश्लेषण करना, समस्याओं को चिन्हित कर उनका समाधान सुझाना, उत्कृष्ट कार्य एवं विधियों तथा 'ई–प्रशासन' के कार्यक्रमों का संकलन एवं विस्तारण, प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार, स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा हितबद्ध समूहों के लिए मंच उपलब्ध कराना तथा शासन की नीतियों एवं कार्यक्रमों का विश्लेषण करना है। इन्ही उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में स्कूल द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा सौंपी गई उनकी महत्वपूर्ण योजना ''डीज़ल पंप उपयोजना'' के प्रभाव आंकलन के अध्ययन का कार्य किया गया है।

1.2 डीजल पम्प योजना

डीजल पम्प योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत एक उपयोजना के रूप में वर्ष 2007 से संचालित है तथा इसका परिचालन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अर्न्तगत आने वाले राज्यो के उन जिलों में किया जा रहा है, जहाँ विशेषकर गेहूँ, धान तथा दलहन का उत्पादन किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मध्यप्रदेश में वर्ष 2007–08 (रबी सीजन) से प्रारंभ किया गया, जिसका मुख्य लक्ष्य पंचवर्षीय योजना के अंत तक (2011–12) गेंहू का उत्पादन 8 मिलियन टन, धान का उत्पादन 10 मिलियन टन और दलहनी फसलों का उत्पादन 2 मिलियन टन तक बढ़ाना है। डीजल पम्प उपयोजना के अर्न्तगत ऐसे कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है जो गेंहू, दलहन या धान का उत्पादन करते है। डीजल पम्प योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में सुनिश्चिता तथा कृषकों की आजीविका में सुधार लाना है।

1.3 योजना का तकनीकी विवरण

1.3.1 कार्यक्षेत्र

डीजल पम्प उपयोजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल राज्यों के चयनित जिलों में प्रभावशील है। मध्यप्रदेश में यह योजना गेहूँ के लिए 30 जिलों, धान के लिए 9 जिलों एवं दलहन के लिए 20 जिलों में लागू है। योजनान्तर्गत विभिन्न फसलों में सम्मिलित जिले निम्नानुसार हैं–

गेहूँ	बालाघाट, बैतूल, भिण्ड, छतरपुर, दमोह, देवास, धार, डिण्डोरी, पूर्वी निमाड़, गुना, हरदा, इन्दौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, मण्डला, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रीवा, सागर, सतना, शहडोल, सिहोर, सिवनी, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, उज्जैन एवं विदिशा।(कुल 30 ज़िले)
धान	अनुपपुर, दमोह, डिण्डौरी, कटनी, मण्डला, पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल (कुल 9 ज़िले)
दलहन	छतरपुर, छिन्दवाडा, दमोह, देवास, गुना, जबलपुर, झाबुआ, नरसिंहपुर, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शाजापुर, शिवपुरी, टीकमगढ, उज्जैन एवं विदिशा। (कुल 20 ज़िले)

1.3.2 डीजल पम्प योजना के उद्देश्य

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की उपयोजना के रूप मे डीजल पंप योजना संचालित हैं। इस उपयोजना के अलग से उद्देश्य निर्धारित नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उद्देश्य, जो कि निम्नानुसार है, की पूर्ति के लिए ही उपयोजना लागू की गई है–

- प्रदेश के चयनित जिलों में क्षेत्र विस्तार और सतत् रीति से उत्पादकता वर्धन के माध्यम से धान, गेहूँ और दलहनों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी।
- मृदा उर्वरता और उत्पादकता का संरक्षण।
- रोजगार अवसरों का सृजन और
- प्रक्षेत्र स्तर पर आर्थिक लाभ बढ़ाना, जिससे किसानों में आत्मविश्वास पैदा हो।

1.3.3 योजना हेतु कार्यनीति

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिशन अंतर्गत निम्नानुसार कार्यनीतियॅा निर्धारित की गई है–

- विभिन्न स्तरों पर सक्रिय कार्यशीलता एवं योजना का मिशन मोड में क्रियान्वयन।
- किसानों की क्षमता निर्माण, उन्नत बीज, समेकित पोषण एवं अन्य प्रोद्योगिकी एवं संसाधनों का संरक्षण, विस्तार एवं संवर्द्धन करना।
- योजना के लाभ की लक्षित हितग्राहियों तक पहुॅच सुनिश्चित करने के लिए धनराशि प्रवाह पर निगरानी रखना।
- योजना के परिणामों के लिए सतत् अनुश्रवण एवं समवर्ती मूल्यांकन करना।

1.3.4 योजना अंतर्गत देय अनुदान

डीजल पम्प उपयोजना के अन्तर्गत हितग्राही को डीजल पम्प सेट (10 हार्स पावर तक) पर रू. 10000.00 प्रति डीजल पम्प सेट या डीजल पंप की कीमत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान दिया जाता है।

1.3.5 हितग्राही चयन मापदंड

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत उपयोजना में तय मापदंडो के अनुसार चयन के मुख्य बिन्दु निम्न है–

- वे सभी कृषक जो गेहूॅ, धान एवं दलहन फसलों का उत्पादन करते हों।
- निधि का कम से कम 33 प्रतिशत आवंटन लघु, सीमान्त और महिला किसानों के लिए किया जाना आवश्यक है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए आवंटन जिले में उनकी जनसंख्या अनुपात में किया जाए।

अध्याय दो–अध्ययन की कार्यविधि

2.1 पृष्ठभूमि

डीजल पम्प योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत एक उपयोजना के रूप में वर्ष 2007 से संचालित है। योजना का संचालन राज्य के उन जिलों में किया जा रहा है, जहाँ विशेषकर गेहूँ, धान तथा दलहन का उत्पादन किया जाता है एवं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अर्न्तगत शामिल हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा इस योजना के प्रभाव आंकलन हेतु अनुरोध किये जाने पर स्कूल द्वारा अध्ययन की रूपरेखा तैयार की गई है।

2.2 अध्ययन के उद्देश्य

स्कूल द्वारा डीज़ल पम्प उपयोजना के प्रभाव आंकलन हेतु जो रूपरेखा तैयार की गई है, उसमें योजना के प्रभाव आंकलन हेतु निम्न बिन्दु निहित हैं–

- डीजल पम्प उपयोजना की पहुँच एवं उपयोगिता।
- डीजल पम्प उपयोजना से गेहूँ, धान तथा दलहन फसलों के उत्पादन पर प्रभाव।
- सिंचित रकवे के विस्तार तथा बदलाव की स्थिति।
- सेवाप्रदाय प्रणाली की प्रभावशीलता एवं प्रदाय प्रणाली में सुधार के लिये कारकों की पहचान।

2.3 अध्ययन की रूपरेखा

2.3.1 अध्ययन हेतु जिले, विकासखंड एवं ग्राम का चयन

अध्ययन हेतु प्रदेश के ऐसे जिले, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत शामिल हैं तथा जहॉ गेहूँ, धान एवं दलहन का उत्पादन किया जाता है, उनमें से रेण्डम आधार पर दो ज़िलों (बैतूल एवं शहडोल) का चयन किया गया है। अध्ययन प्रस्ताव अनुसार प्रत्येक ज़िले से दो विकासखण्ड एवं प्रत्येक विकासखंड से 4 ग्रामों का चयन रेण्डम आधार पर करते हुए कुल 400 हितग्राहियों के अध्ययन का लक्ष्य रखा गया था। अध्ययन शुरू किये जाने पर दो विकासखंडों में लक्ष्य अनुसार हितग्राही संख्या (200) उपलब्ध न होने के कारण विकासखंड एवं

ग्रामों की संख्या को बढ़ाया गया है, जिससे कि प्रत्येक ज़िले से लगभग 200 हितग्राहियों का अध्ययन किया जा सके।

इस प्रकार अध्ययन हेतु चयनित दोनों ज़िलों के कुल 9 विकासखंडों के 131 ग्रामों में अध्ययन किया गया है। अध्ययन किये गए जिलों/विकासखंडों/ग्रामों की सूची निम्नानुसार है:–

क्र	जिला	विकासखंड	ग्राम
1	बैतूल	आमला	सासुन्द्रा, सोनेगॉव, माहू, थानी, तोरनबाढा, पारसोदी, राजगॉव, मालीगॉव, नन्दपुर, दाडी, कुटखेड़ी, कुजवा, लालाबडी, पतनौरा, हासलपुर, हरनेया, हरदौली, देवगॉव, इटावा, जुदारिया, धगांरिया, गोथिया,
		अचनेर	अचनेर, बागकुद, दयावानी, धामोली, धनौरा, धनोरी, जावरा, अष्टी, अम्बाडा, ढाबोना, कुमारी, तवनी, सूखी, सावांगी, सतनेर, तेनगुजनेर, रजोला, पुसाली, पॉढुर्ना, पानी,
		बैतूल	कढाई, जोतपुर, जीन, बादोरा, भगोली, तहाली, सुरगॉव, सिलोट, सलदा, सनवागा, रेदवा, पिपला, नीमझिरी, नहींया, कोलगॉव, लख्खापुर, मल्कापुर, मथानी, काढला, सेंखालधारा
		चिचोली	निवारी, कुरसाना, नसीराबाद, टोकरा, कटकुई, खपारिया, खालदु, गोन्डू, बुढाना, चुगनी, बेला,
2	शहडोल	ब्योहारी	अनहारा, बेहरीया, बनासी, वारा, बरहाटोला, बानी, बोलहारा, चरका, चौरी, देवरी, गाधा, गोपालपुर, हिरवार, जगमल, जामुनी, जनकपुर, सपता, रसपुर, रिहा, सारसी,
		बुढ़ार	बतुरा, बिछीया, बिरूहली, चाका, दरशीला, धनौरा, तेंगा, शहपुर, सिंगली, रूपोला, रामपुर, नोगई, नीमूहा, मामरा,
		गोपारू पाली	असवारी, बरहा, देवदाहा, चुहीरी, बरेली,
		जयसिंह नगर	रिमार, पोंडी, सिधी, तगावर, तेन्दूडोल, तेरका, उचेरा, पहाड़ीया, मासीरा, लापारी, कुबारा,
		सोहागपुर	बारटारा, गोरतारा, हारी, जोधपुर, जुगबारी, समतपुर, सिंरोज, पोगंली,

2.3.2 अध्ययन हेतु प्रतिभागी

अध्ययन में शामिल ग्रामों के डीजल पंप उपयोजना के समस्त हितग्राही, जिनके नाम उपसंचालक कृषि कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में शामिल हैं, को लिया गया है।

2.3.3 उत्तरदाताओं की संख्या

क्र	जिला	विकासखंड का नाम	ग्रामों की संख्या	हितग्राहियों की संख्या
1	बैतूल	ऑमला	22	78
		अचनेर	20	67
		बैतूल	20	28
		चिचोली	11	27
2	शहडोल	ब्योहारी	20	78
		बुढ़ार	14	44
		गोपारू पाली	5	8
		जयसिंह नगर	11	43
		सोहागपुर	8	27
योग		9	131	400

2.3.4 अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण

अध्ययन हेतु मुख्य रूप से दो उपकरणों– प्रश्नावली एवं समूह चर्चा का प्रयोग किया गया है।

2.3.4.1 प्रश्नावली

कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं एवं अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नावली का निर्माण सरल एवं सहज भाषा में किया गया। प्रश्नावली में उन प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया गया हैं, जिनके माध्यम से हितग्राहियों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति, उपलब्ध सिंचाई साधन एवं उनमें पानी की उपलब्धता, योजनान्तर्गत प्राप्त सुविधाओं के बारे में उनकी समझ, योजना उपरान्त फसल उत्पादन में आए परिवर्तन, सिंचित रकबे में हुए बदलाव की स्थिति, योजना के बारे में उनका संतुष्टि स्तर और उन्हें आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों को नापा

जा सके। साथ ही योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उनके सुझाव भी प्राप्त किये जा सकें।

चर (Variables)

अध्ययन में लिये गये मापदंडों का चर वर्गीकरण निम्नानुसार हैः–

मापक चर (Measurable Variables)

- हितग्राहियों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति।
- हितग्राहियों के पास उपलब्ध सिंचाई संसाधन।
- हितग्राहियों के चयन में पारदर्शिता।
- हितग्राहियों के डीजलपंप उपयोजना क्रियान्वयन के अनुभव।
- डीजल पम्प उपयोजना में शामिल विभिन्न हितधारकों की भूमिका।
- सिंचित रकबे में बदलाव।
- हितग्राहियों की जिंदगी में बदलाव विशेषतः आय एवं जागरूकता के संबंध में।
- योजना के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि।
- योजना की पहुँच, प्रभावशीलता, गुणवत्ता ।
- सेवाओं को हासिल करने में बाधायें।

स्वतंत्र चर (Independent Variables)

इस अध्ययन के अंतर्गत स्वतंत्र चर (Independent Variables) निम्नलिखित हैः–

- गाँव
- जिला
- पारिवारिक आय
- शैक्षणिक योग्यता
- लिंग
- बीपीएल/एपीएल
- भूमि

2.3.4.2 समूह चर्चा

अध्ययन अंतर्गत चयनित ज़िलों में ग्रामवासियों से समूह चर्चा भी की गई है, जिससे सांख्यिकी आंकड़ों की पुष्टि हो सके।

2.3.5 नमूना परीक्षण एवं प्रश्नावली सुधार

प्रश्नावली को प्रयोग में लाने से पहले हितग्राहियों के साथ इसका पायलट परीक्षण किया जाकर इसकी प्रासंगिकता एवं उपयोगिता परखी गई। पायलेट परीक्षण के निष्कर्षो के आधार पर प्रश्नावली में आवश्यक संशोधन किये गये।

2.3.6 वालिन्टियर्स का प्रशिक्षण

प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़ों के संग्रहण के लिए चयनित जिलों के प्रत्येक विकासखण्ड से एक स्थानीय वॉलिन्टियर (न्यूनतम स्नातक) का चयन, एक माह के लिए मानदेय आधार पर किया गया। यद्यपि अध्ययन के दौरान विकासखंडों की संख्या बढ़कर नौ हो गई थी, फिर भी योजना प्रस्ताव अनुसार कुल 04 वॉलिन्टियर अध्ययन हेतु रखे गए। इनके कार्य का पर्यवेक्षण स्कूल के कोर स्टॉफ (संबंधित अध्ययन दल) द्वारा किया गया। चयनित सभी 04 वॉलिन्टियर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम भोपाल में आयोजित कर उन्हें ''डीज़ल पंप उपयोजना'' के मुख्य बिन्दुओं पर जानकारी दी गई और प्रश्नावली पर विस्तृत रूप से सहभागी चर्चा कर प्रत्येक प्रश्न के औचित्य के बारे में बताया गया। साथ ही वॉलिन्टियर्स को अध्ययन के लिए आँकडों का संग्रहण करने के दौरान उनकी भूमिका और व्यवहार किस तरह का होगा, उनकी नैतिक जिम्मेदारियॉ क्या होंगी, से भी अवगत कराया गया।

2.3.7 आँकड़ों का संग्रहण

इस अध्ययन हेतु हितग्राहियों से कृषि क्षेत्र, कृषि उत्पादन, सिंचाई साधनों की उपलब्धता, उत्पादन, सिंचित रकबे आदि में वृद्धि जैसे विभिन्न पहलुओं पर संख्यात्मक एवं गुणात्मक जानकारी, प्रश्नावली एवं समूह चर्चा के माध्यम से एकत्रित की गई है।

2.3.8 आँकड़ो का परीक्षण एवं संकलन

अध्ययन के दौरान चयनित ग्रामों में प्रश्नावली के माध्यम से एकत्रित किये गये आँकड़ों का संकलन विकासखंडवार एवं जिलेवार किया गया। संकलन के दौरान आंकड़ों को क्रॉस चेक कर विसंगतियों को दूर किया गया है।

2.3.9 आँकड़ो का विश्लेषण

आँकड़ों का विश्लेषण आवृत्ति, प्रतिशत एवं औसत के आधार पर एम.एस.एक्सल सॉफ्टवेयर की मदद से किया गया है।

2.4 निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रश्नावली/समूह चर्चा से प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर तथा साक्षात्कार एवं प्रश्नावली भरने के दौरान हुए अनुभवों के आधार पर योजना के कियान्वयन की स्थिति एवं सेवाप्रदाय प्रणाली की प्रभावशीलता के संबंध में सुझाव दिये गये हैं।

अध्याय तीन–आँकड़ों का विश्लेषण

उत्तरदाताओं की सामान्य जानकारी

3.1 सामाजिक पृष्ठभूमि

3.1.1 जातिवार विवरण (संदर्भ– अध्याय पांच तालिका: 5.1.1)

बार चित्रण क्रमांक–3.1.1 हितग्राहियों की जातिवार स्थिति

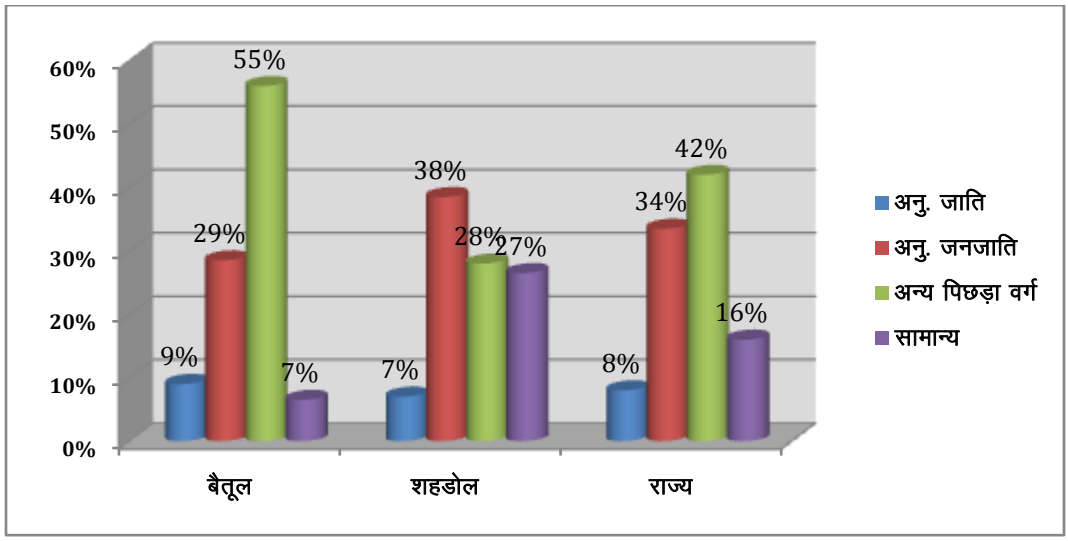

प्रस्तुत बार चित्रण में अध्ययन अंतर्गत शामिल हितग्राहियों का जाति विवरण दर्शाया गया है। विश्लेषण अनुसार हितग्राहियों में अनुसूचित जाति के 8 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के 34 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 42 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग के 16 प्रतिशत हितग्राही हैं। सबसे अधिक संख्या (42 प्रतिशत) अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों की है तथा सबसे कम संख्या (8 प्रतिशत) अनुसूचित जाति हितग्राहियों की है।

बैतूल जिले में वर्ष 2001 जनगणना अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्रमशः 10.6 एवं 39.4 है। इसी प्रकार शहडोल जिले में यह प्रतिशत क्रमशः 7.4 एवं 44.5 प्रतिशत है। योजना के मापदंड के विपरीत दोनों ही जिलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों का प्रतिशत इन समुदाय की जिलें में जनसंख्या के प्रतिशत के मान से कम है।

3.1.2 शैक्षिक विवरण (संदर्भ– अध्याय पांच तालिका: 5.1.2)

प्रस्तुत बार चित्रण हितग्राहियों की शैक्षणिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। विश्लेषण अनुसार 30 प्रतिशत हितग्राहियों को छोड़कर शेष प्रायमरी अथवा उससे अधिक पढ़े हैं।

बार चित्रण क्रमांक–3.1.2 हितग्राहियों का शैक्षिक विवरण

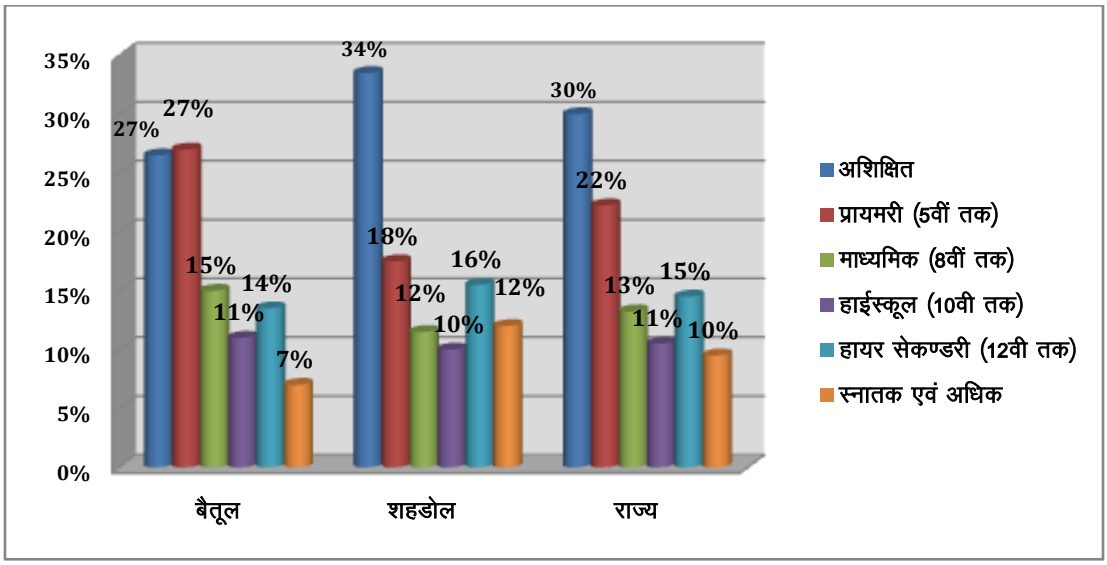

3.2. आर्थिक पृष्ठभूमि

3.2.1 आर्थिक श्रेणीवार विवरण (संदर्भ– अध्याय पांच तालिका: 5.2.1)

बार चित्रण क्रमांक–3.2.1 हितग्राहियों का आर्थिक श्रेणीवार विवरण

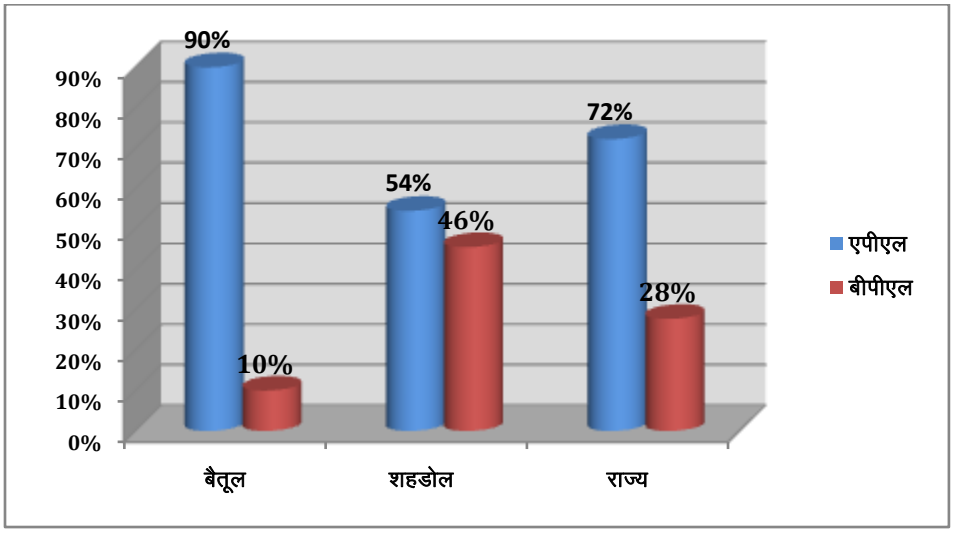

प्रस्तुत बार चित्रण में हितग्राहियों की आर्थिक श्रेणी को प्रदर्शित किया गया है। विश्लेषण अनुसार 72 प्रतिशत हितग्राही एपीएल (गरीबी रेखा से ऊपर) एवं मात्र 28 प्रतिशत हितग्राही गरीबी रेखा के नीचे के हैं। इनकी जिलेवार स्थिति भिन्न–भिन्न है। बैतूल में बीपीएल हितग्राही का प्रतिशत बहुत कम मात्र 10 प्रतिशत है, जबकि शहडोल में यह प्रतिशत 46 है। इस प्रकार शहडोल ज़िले में हितग्राही चयन में बीपीएल श्रेणी को प्राथमिकता मिली है।

3.2.2 आय के मुख्य स्रोत (बहुविकल्पीय) (संदर्भ– अध्याय पांच तालिका: 5.2.2)

प्रस्तुत चित्रण हितग्राहियों के आय के विभिन्न स्रोतों को प्रदर्शित करता है। विश्लेषण अनुसार 99 प्रतिशत हितग्राहियों की आय का मुख्य स्रोत कृषि है, जो कि योजना की मूल भावना को परिपूर्ण करता है। कृषि के साथ–साथ आय का दूसरा मुख्य स्त्रोत मजदूरी है।

बार चित्रण क्रमांक –3.2.2 हितग्राहियों की आय के मुख्य स्त्रोत

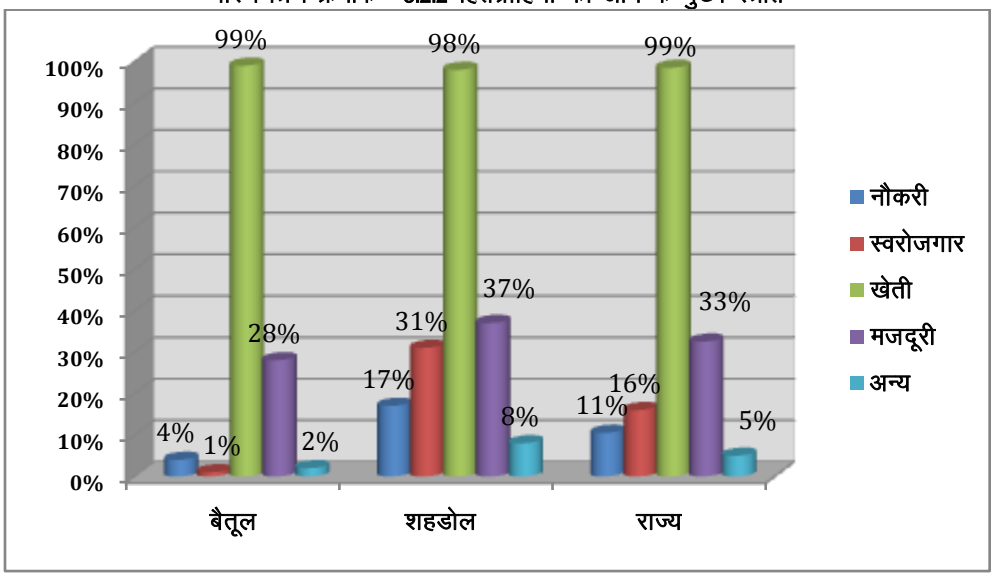

3.2.3 मासिक आय की स्थिति (संदर्भ– अध्याय पांच तालिका: 5.2.3)

प्रस्तुत बार चित्रण में हितग्राहियों की मासिक आय को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर रू. 3000/–तक एवं रू. 3001 से 5000 तक की मासिक आय वाले हितग्राहियों

का प्रतिशत लगभग बराबर (क्रमशः 35 एवं 36 प्रतिशत) है। बैतूल जिले में रू. 5000 अथवा इससे अधिक आय के हितग्राहियों का प्रतिशत (36 प्रतिशत) शहडोल जिले (29 प्रतिशत) की तुलना में अधिक है।

बार चित्रण क्रमांक –3.2.3 हितग्राहियों की मासिक आय का विवरण

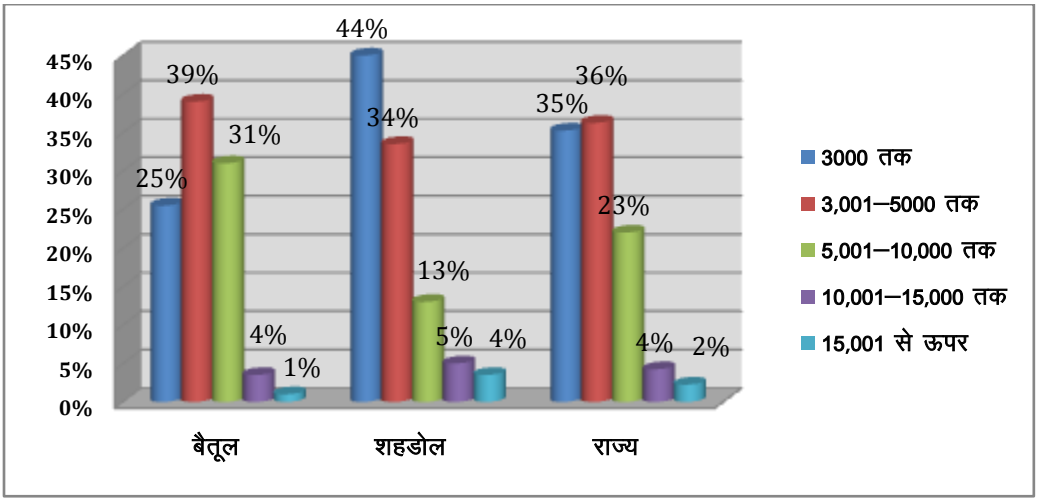

3.2.4 उपलब्ध सिंचाई स्रोतों का विवरण (संदर्भ – अध्याय पांच तालिका: 5.2.4)

बार चित्रण क्रमांक –3.2.4 हितग्राहियों के पास उपलब्ध सिंचाई स्त्रोतों का विवरण

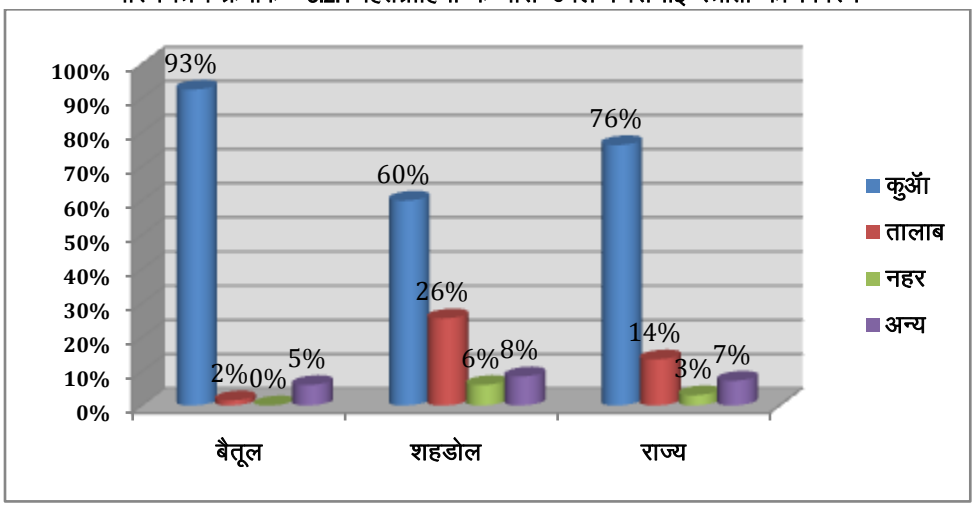

प्रस्तुत चित्रण हितग्राहियों के पास सिंचाई के विभिन्न स्रोतों की उपलब्धता को दर्शाता है। विश्लेषण अनुसार सर्वाधिक हितग्राहियों (76 प्रतिशत) के पास सिंचाई साधन

के रूप में कुंओं की उपलब्धता है, 14 प्रतिशत के पास तालाब तथा 10 प्रतिशत के पास नहर एवं अन्य स्रोतों की उपलब्धता है।

3.2.5 सिंचाई साधनों में जल उपलब्धता की स्थिति (संदर्भ– अध्याय पांच तालिका: 5.2.5)

बार चित्रण क्रमांक –3.2.5 हितग्राहियों के सिंचाई साधनों में जल उपलब्धता की स्थिति

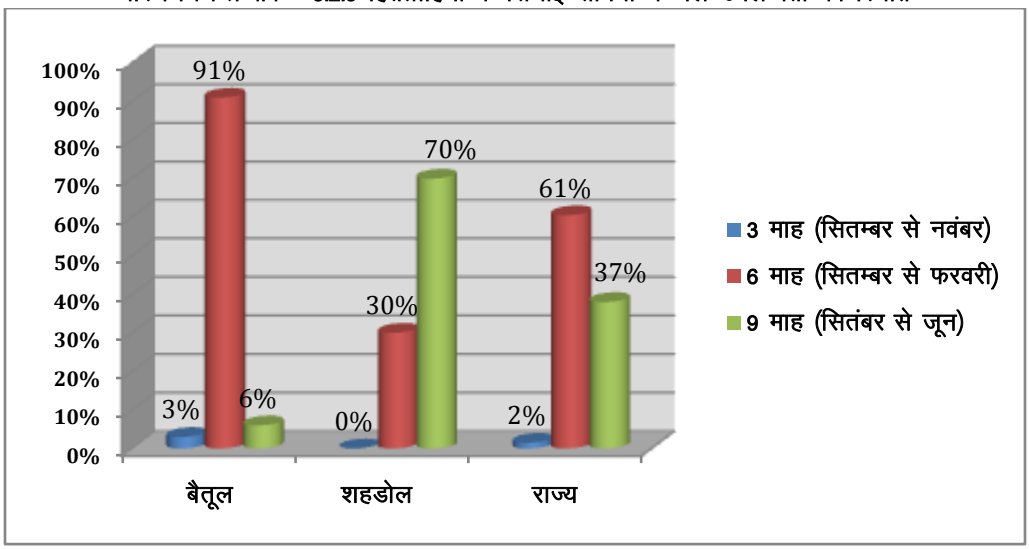

प्रस्तुत बार चित्रण द्वारा हितग्राहियों के पास उपलब्ध सिंचाई साधनों में वर्ष के दौरान जल उपलब्धता की अवधि को दर्शाया गया है। विश्लेषण अनुसार 98 प्रतिशत हितग्राहियों के सिंचाई स्त्रोतों में साल में 6 माह या इससे अधिक अवधि के लिए पानी की उपलब्धता रहती है। ऐसे लोगों को पंप उपलब्ध कराया जाना डीज़ल पंप योजना अन्तर्गत सही हितग्राही के चयन का द्योतक है। सिर्फ 2 प्रतिशत हितग्राही ही ऐसे हैं, जिनके पास मात्र 3 माह (सितम्बर से नवंबर) ही सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता रहती है।

3.2.6 हितग्राहियों का कृषक श्रेणी वर्गीकरण (संदर्भ– अध्याय पांच तालिका: 5.2.6)

प्रस्तुत बार चित्रण हितग्राहियों का कृषक श्रेणी वर्गीकरण दर्शाता है। विश्लेषण अनुसार हितग्राहियों में 7 प्रतिशत सीमान्त कृषक एवं 59 प्रतिशत लघुकृषक है जो कि योजना के मापदण्ड के अनुरूप है। मापदण्ड अनुसार हितग्राहियों में इन श्रेणी के कृषको का प्रतिशत कम से कम 33 होना चाहिए।

बार चित्रण क्रमांक –3.2.6 हितग्राहियों का कृषक श्रेणी वर्गीकरण

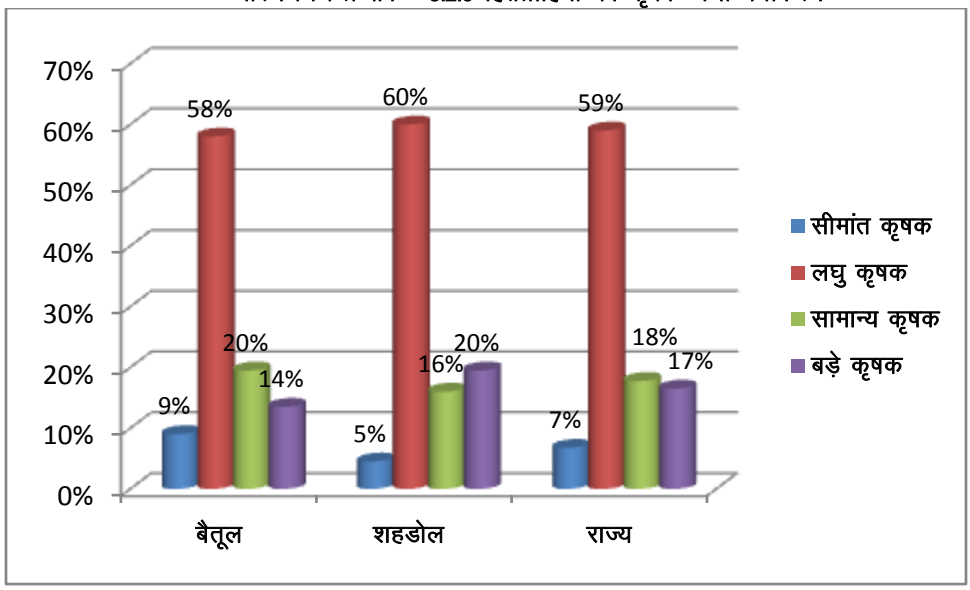

3.3. योजना क्रियान्वयन की स्थिति

3.3.1 हितग्राही चयन में ग्रामसभा की भूमिका (संदर्भ– अध्याय पांच तालिका: 5.3.1)

प्रस्तुत बार चित्रण हितग्राहियों के चयन में ग्राम सभा की भूमिका को दर्शाता है। विश्लेषण अनुसार 40 प्रतिशत हितग्राहियों के चयन में ग्रामसभा की सहभागिता रही है, शेष हितग्राहियों (60 प्रतिशत) के चयन में ग्राम सभा की भूमिका नही रही। जिलों की स्थिति देखने पर बैतूल जिले में हितग्राहियों के चयन में ग्राम सभा की भूमिका शहडोल जिले की तुलना में कम रही।

बार चित्रण क्रमांक –3.3.1 हितग्राही चयन में ग्रामसभा की भूमिका

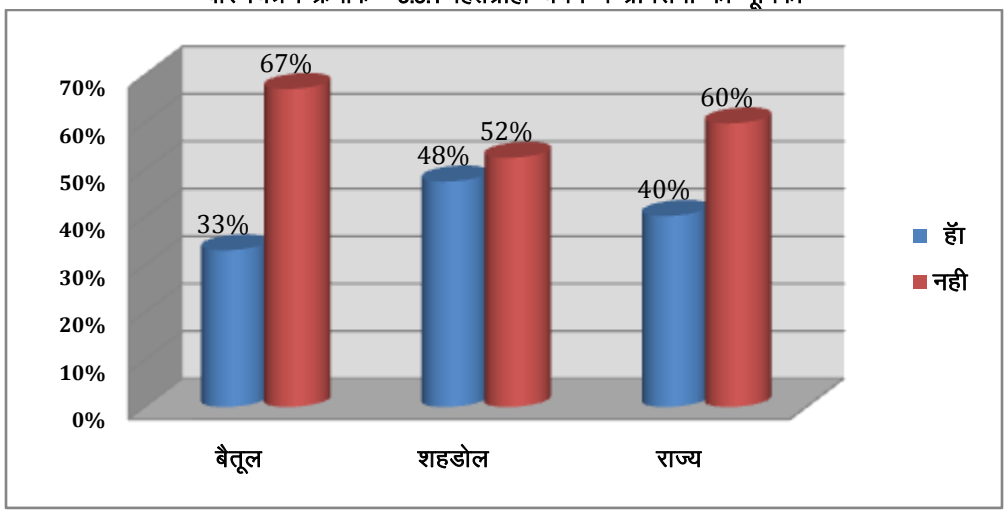

3.3.2 हितग्राहियों द्वारा पंप खरीदने का स्थान (संदर्भ– अध्याय पांच तालिका: 5.3.2)

बार चित्रण क्रमांक –3.3.2 हितग्राही द्वारा पंप खरीदने का स्थान

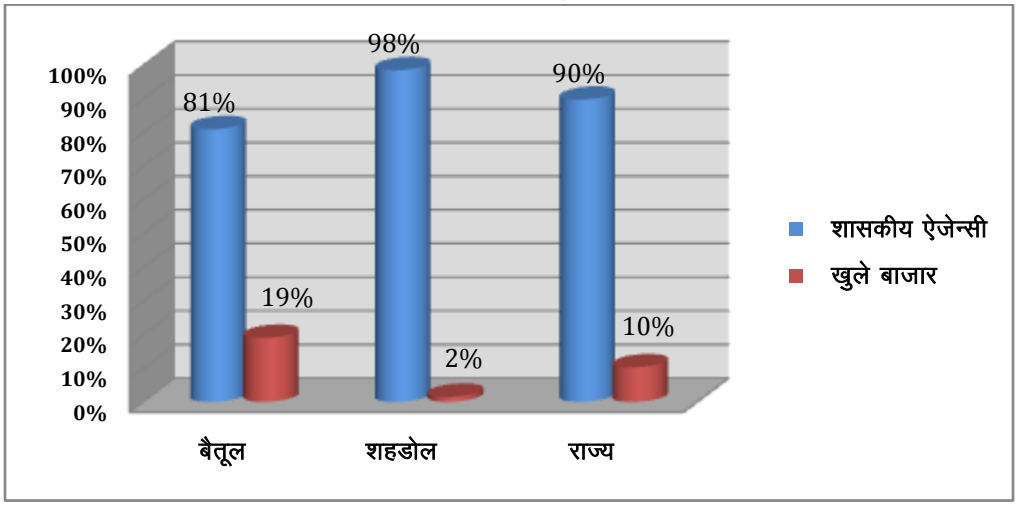

प्रस्तुत बार चित्रण में हितग्राहियों द्वारा डीजल पम्प कहॉ से क्रय किया गया है, दर्शाया गया है। विश्लेषण अनुसार 90 प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा शासकीय एजेन्सी से डीजल पम्प क्रय किया गया है, मात्र 10 प्रतिशत हितग्राहियों ने ही खुले बाजार से पंप क्रय किये हैं। शहडोल जिले में लगभग शत्–प्रतिशत (98 प्रतिशत) हितग्राहियों द्वारा शासकीय ऐजेन्सी से पंप क्रय किये गये है।

3.3.3 हितग्राहियों द्वारा पंप खरीदने की एजेसी (संदर्भ– अध्याय पांच तालिका: 5.3.3)

बार चित्रण क्रमांक –3.3.3 हितग्राही द्वारा पंप खरीदने की एजेन्सी

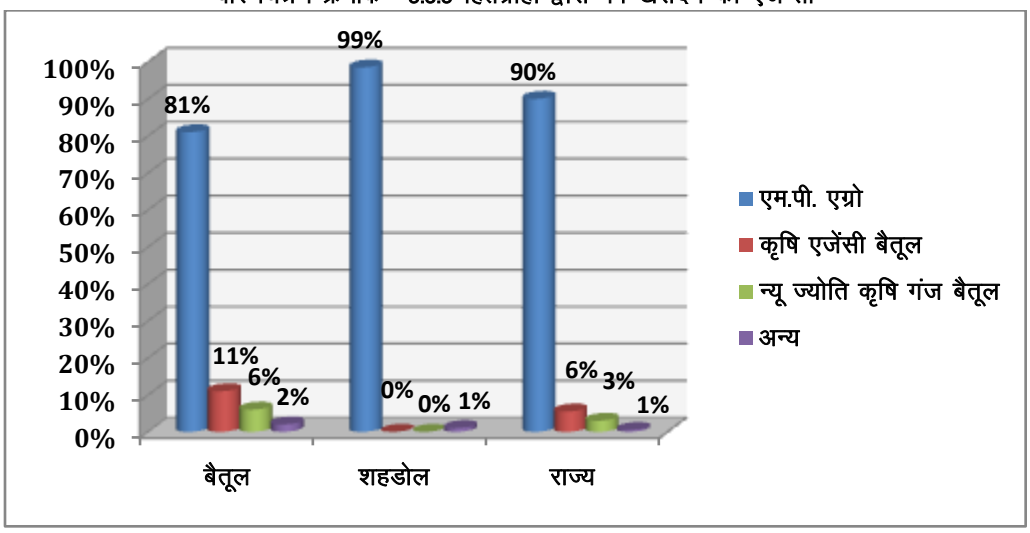

प्रस्तुत बार चित्रण में हितग्राहियों द्वारा डीजल पम्प किस एजेन्सी से क्रय किया गया है, दर्शाया गया है। विश्लेषण अनुसार 90 प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा एम.पी. एग्रो से डीजल पम्प क्रय किया गया है, मात्र 10 प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा ही अन्य एजेन्सियों से पंप क्रय किये गये हैं। शहडोल जिले में लगभग शत्–प्रतिशत (99 प्रतिशत) हितग्राहियों द्वारा एम.पी.एग्रो से पंप क्रय किये गये है।

3.3.4 हितग्राहियों के पंप की क्षमता (हार्स पावर) (संदर्भ– अध्याय पांच तालिका: 5.3.4)

बार चित्रण क्रमांक –3.3.4 हितग्राहियों के पंप की क्षमता

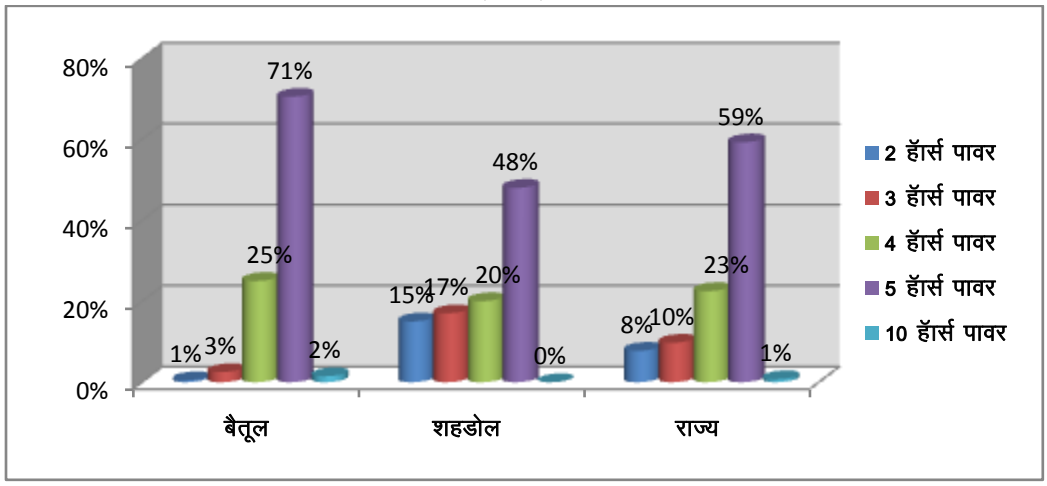

प्रस्तुत बार चित्रण में हितग्राहियों द्वारा क्रय किये गये डीजल पम्प की क्षमता को दर्शाया गया है। विश्लेषण अनुसार अधिकांश हितग्राहियों (59 प्रतिशत) द्वारा 5 हार्स पॉवर के पंप को प्राथमिकता दी गई है। अन्य 23 प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा 4 हार्स पॉवर के पंप क्रय किये गये है। दो एवं तीन हार्स पॉवर का पंप क्रय करने वाले हितग्रहियों का प्रतिशत क्रमशः 8 एवं 10 है।

3.3.5 हितग्राहियों द्वारा क्रय किये गये पंप की कीमत (संदर्भ– अध्याय पांच तालिका: 5.3.5)

प्रस्तुत बार चित्रण में हितग्राहियों द्वारा क्रय किये गये डीजल पम्प की कीमत को दर्शाया गया है। विश्लेषण अनुसार अधिकांश हितग्राहियों (93 प्रतिशत) द्वारा क्रय किये गये पंप की कीमत रू. 15,000 अथवा इससे अधिक है। इस प्रकार हितग्राहियों द्वारा

अधिकतम अनुदान प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। नियमानुसार प्रति डीजल पंप पर रू. 10000.00 या डीजल पंप की कीमत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान दिया जाता है।

बार चित्रण क्रमांक –3.3.5 हितग्राहियों द्वारा क्रय किये गये पंप की कीमत

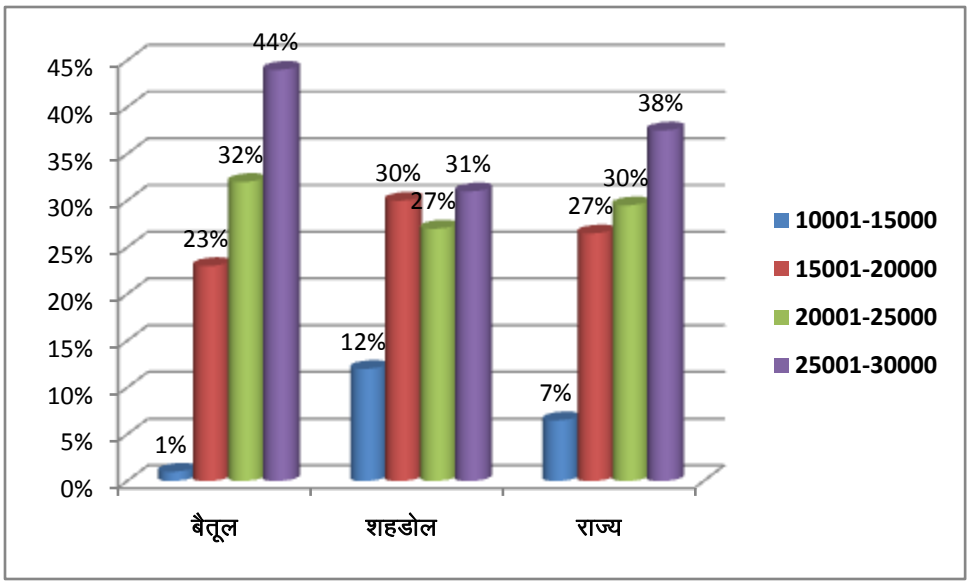

3.3.6 हितग्राहियों को किसी स्थान विशेष से पंप खरीदने की बाध्यता (संदर्भ– अध्याय पांच तालिका: 5.3.6)

बार चित्रण क्रमांक –3.3.6 हितग्राहियों को किसी स्थान विशेष से पंप खरीदने की बाध्यता

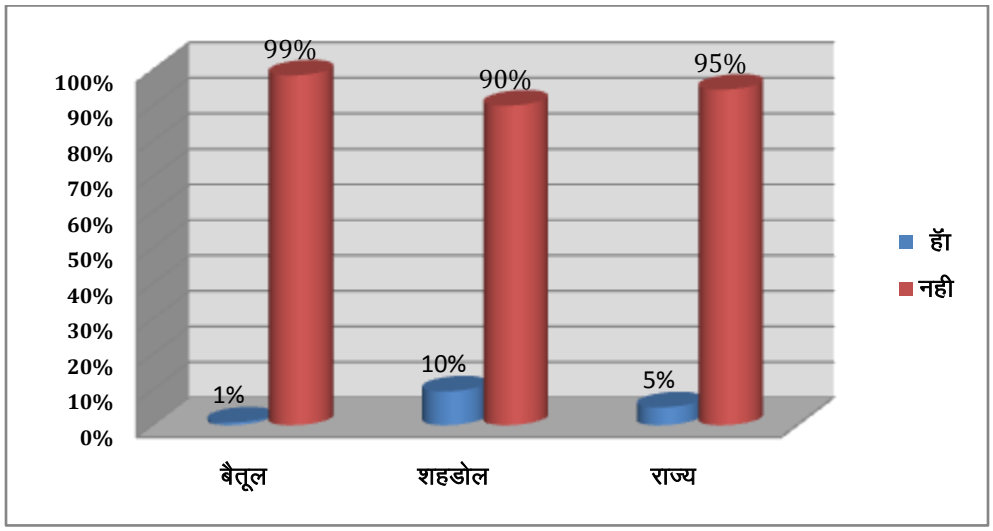

प्रस्तुत बार चित्रण में हितग्राहियों द्वारा पंप क्रय किये जाने की प्रक्रिया में किसी अनुचित हस्तक्षेप की स्थिति को दर्शाया गया है। विश्लेषण अनुसार 95 प्रतिशत

हितग्राहियों द्वारा बताया गया कि उन्हें किसी ऐजेन्सी विशेष से पंप खरीदने हेतु बाध्य नहीं किया गया। जिलेवार आंकलन करने पर शहडोल जिले में 10 प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा बताया गया कि, उन्हें किसी ऐजेन्सी विशेष से पंप खरीदने हेतु बाध्य किया गया, किन्तु बैतूल में यह संख्या नगण्य (2 प्रतिशत) है।

यद्यपि अधिकांश हितग्राहियों द्वारा एजेन्सी विशेष से पंप खरीदने हेतु बाध्य नहीं किये जाने की बात कही है, परन्तु कण्डिका 3.3.3 अनुसार 90 प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा एम.पी. एग्रो से पंप क्रय किया जाना विरोधाभासी तस्वीर प्रस्तुत करता है एवं अपरोक्ष रूप से पंप चयन में हितग्राही की स्वतंत्रता को प्रभावित किया जाना प्रतीत होता है।

3.3.7 बाध्य किये जाने में संस्थाओं की भूमिका (संदर्भ– अध्याय पांच तालिका: 5.3.7)

प्रस्तुत बार चित्रण में हितग्राहियों को एजेन्सी विशेष से पम्प क्रय करने हेतु दबाव डालने वाले विभाग/संस्थाओं का विवरण दर्शाया गया है। जिन 5 प्रतिशत हितग्राहियों को किसी ऐजेन्सी विशेष से पंप खरीदने हेतु बाध्य किया गया है, उनमें से 90 प्रतिशत हितग्राहियों के अनुसार विभागीय अमले द्वारा उन पर एजेन्सी विशेष से पम्प क्रय करने हेतु दबाव बनाया गया, जबकि 10 प्रतिशत को ग्राम पंचायत द्वारा बाध्य किया गया।

बार चित्रण क्रमांक –3.3.7 बाध्य किये जाने में संस्थाओं की भूमिका

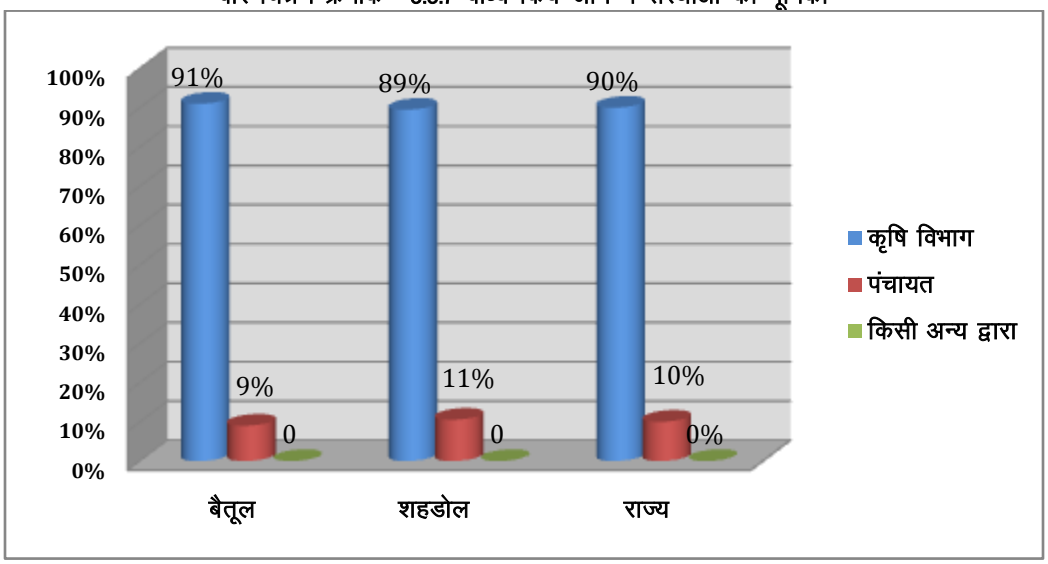

3.3.8 डीजल पम्प की गुणवत्ता (आई.एस.आई.मार्क) की स्थिति (संदर्भ– अध्याय पांच तालिका: 5.3.8)

बार चित्रण क्रमांक –3.3.8 डीज़ल पंप गुणवत्ता (आई.एस.आई.मार्क) की स्थिति

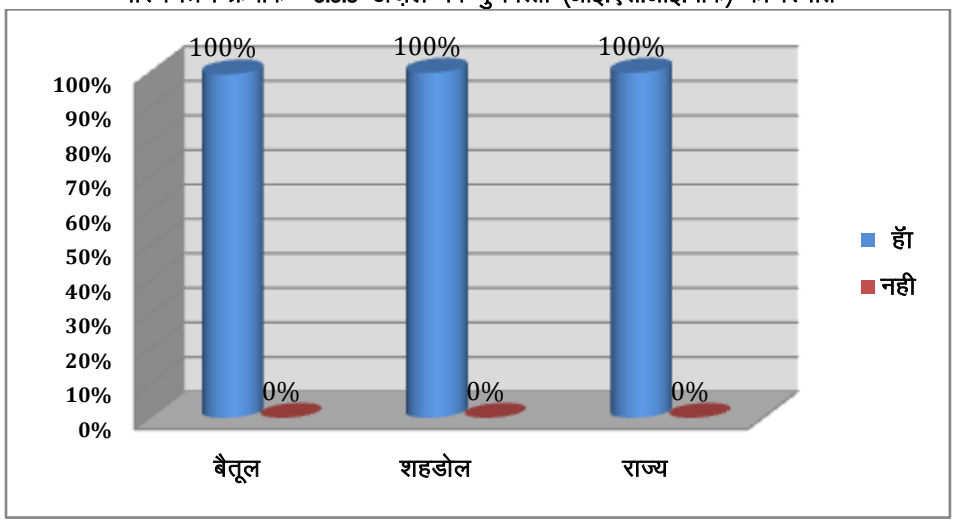

प्रस्तुत बार चित्रण में हितग्राहियों द्वारा क्रय किये गये डीजल पम्प की गुणवत्ता (आई.एस.आई. मार्क) संबंधित विवरण दर्शाया गया है। विश्लेषण अनुसार शत्–प्रतिशत् हितग्राहियों द्वारा आई.एस.आई. मार्क के ही डीजल पम्प क्रय किए गए हैं, जो कि योजना के प्रावधान अनुसार है।

3.3.9 पंप क्रय के अतिरिक्त अन्य स्थान पर राशि खर्च किये जाने की स्थिति (संदर्भ– अध्याय पांच तालिका: 5.3.9)

सर्वेक्षण के दौरान शत्–प्रतिशत् हितग्राहियों द्वारा पंप खरीदने के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर कोई भी राशि खर्च नही करने की बात कही गई है, जो कि एक सकारात्मक संकेत है।

3.4 योजना की प्रभावशीलता

3.4.1 योजना उपरांत सिंचित भूमि के रकबे में परिवर्तन की स्थिति (संदर्भ– अध्याय पांच तालिका: 5.4.1)

प्रस्तुत बार चित्रण में हितग्राही द्वारा डीजल पम्प उपयोजना का लाभ लेने के बाद उनकी सिंचित भूमि के रकबे में हुए बदलाव को दर्शाया गया है। योजना का लाभ लेने

के उपरान्त हितग्राहियों का कुल सिंचित रकबा 52 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत हो गया है। इस प्रकार सिंचित भूमि रकबे में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जिलेवार स्थिति में अन्तर है एवं बैतूल (17 प्रतिशत) की तुलना में शहडोल जिले (29 प्रतिशत) के सिंचित रकबे में ज्यादा वृद्धि हुई है।

इसी प्रकार हितग्राहियों की कुल पड़त भूमि भी योजना का लाभ लेने के उपरांत 48 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत हो गई है।

बार चित्रण क्रमांक –3.4.1 सिंचित भूमि के रकबे में परिवर्तन की स्थिति

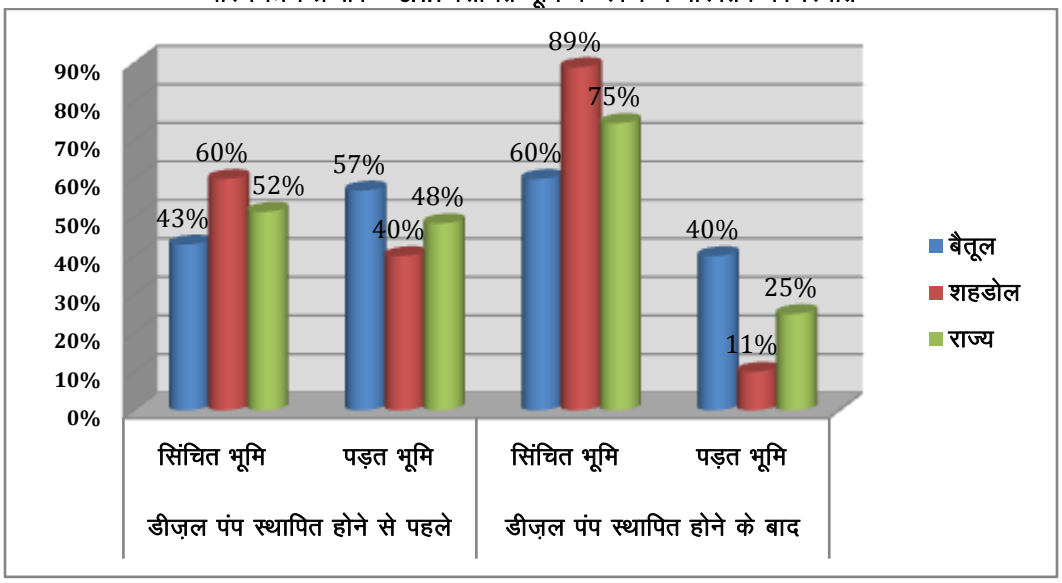

3.4.2 हितग्राहियों के निवास से डीजल/पेट्रोल पम्प की दूरी (संदर्भ– अध्याय पांच तालिका: 5.4.2)

प्रस्तुत बार चित्रण में हितग्राहियों के गॉव से डीज़ल/पेट्रोल पम्प की दूरी का विवरण दर्शाया गया है। विश्लेषण अनुसार 12 प्रतिशत हितग्राहियों को 0–5 कि.मी., 42 प्रतिशत को 5–10 कि.मी., 34 प्रतिशत को 10–20 कि.मी., एवं 12 प्रतिशत हितग्राहियों को 20 कि.मी. से अधिक की दूरी डीज़ल प्राप्त करने के लिए तय करनी पड़ती है। शहडोल जिले में 68 प्रतिशत हितग्राहियों को 10 कि.मी. की परिधि में डीज़ल उपलब्ध है, वहीं बैतूल जिले में मात्र 42 प्रतिशत को ही यह सुविधा उपलब्ध है।

बार चित्रण क्रमांक –3.4.2 हितग्राहियों के निवास से पेट्रोल पंप की दूरी

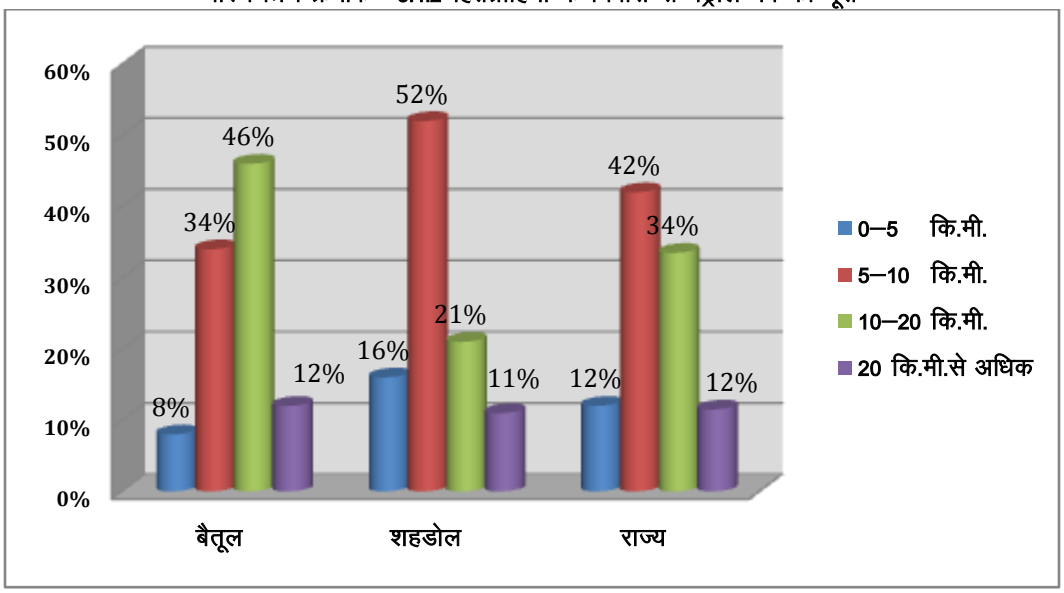

3.4.3 डीजल प्राप्त करने में परेशानी (संदर्भ– अध्याय पांच तालिका: 5.4.3)

प्रस्तुत बार चित्रण में हितग्राहियों को डीजल प्राप्त करने में परेशानी की स्थिति को दर्शाया गया है। विश्लेषण अनुसार अधिकांश (84 प्रतिशत) हितग्राहियों को डीजल सहजता से प्राप्त हो जाता है। मात्र 16 प्रतिशत हितग्राहियों को ही डीजल प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ा है।

बार चित्रण क्रमांक –3.4.3 डीज़ल प्राप्त करने में परेशानी

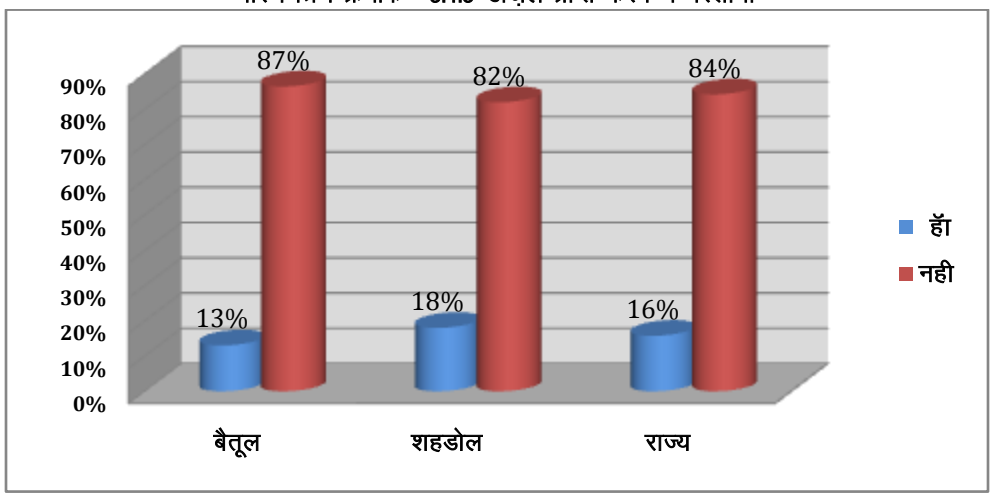

3.4.4 योजना उपरांत फसल उत्पादन में वृद्धि की स्थिति (संदर्भ– अध्याय पांच तालिका: 5.4.4)

बार चित्रण क्रमांक –3.4.4 योजना उपरान्त फसल उत्पादन में वृद्धि

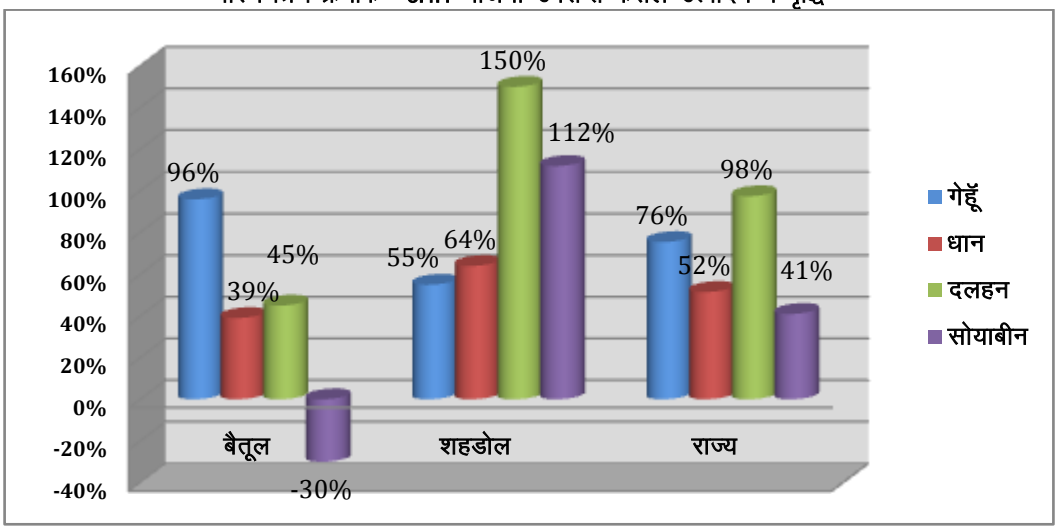

प्रस्तुत बार चित्रण द्वारा योजना का लाभ लेने के उपरान्त हितग्राहियों की विभिन्न फसलों के उत्पादन में हुए परिवर्तन को दर्शाया गया है। विश्लेषण अनुसार योजना उपरांत हितग्राहियों के गेहूँ उत्पादन में 76 प्रतिशत, धान के उत्पादन में 52 प्रतिशत, दलहन के उत्पादन में 98 प्रतिशत तथा सोयाबीन के उत्पादन में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जिलेवार विश्लेषण करने पर शहडोल में दलहन एवं सोयाबीन फसलों के उत्पादन में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि (क्रमशः 150 और 112 प्रतिशत) हुई है, जबकि बैतूल जिले में गेहूँ उत्पादन में तुलनात्मक रूप से अधिक (96 प्रतिशत) वृद्धि हुई है। बैतूल जिले में सोयाबीन के उत्पादन में कमी परिलक्षित हुई है।

3.4.5 योजना का लाभ लेने में आने वाली समस्याओं का विवरण (संदर्भ– अध्याय पांच तालिका: 5.4.5)

प्रस्तुत बार चित्रण द्वारा योजना का लाभ लेने में आने वाली समस्यों का विवरण दर्शाया गया है। विश्लेषण अनुसार हितग्राहियों को योजना का लाभ लेने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा।

बार चित्रण क्रमांक –3.4.5 योजना का लाभ लेने में आने वाली समस्याएँ

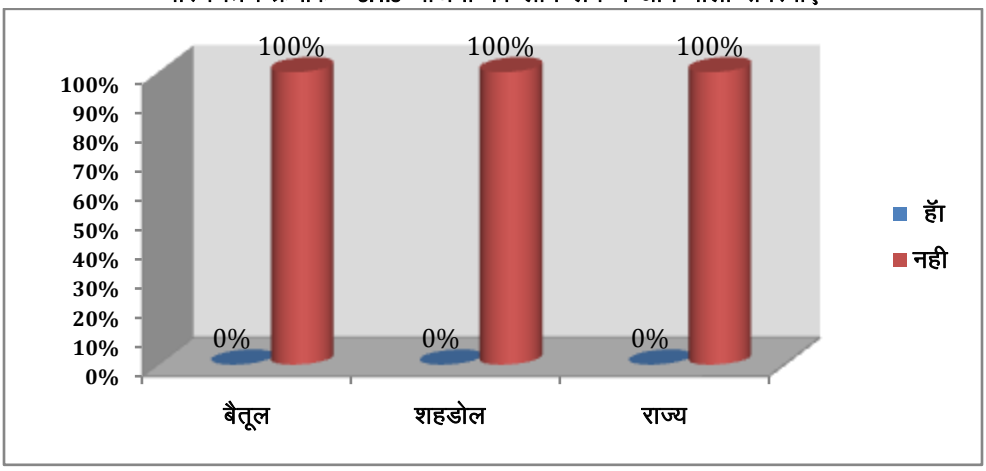

3.4.6 डीजल पम्प किराये पर देने की स्थिति एवं आय (संदर्भ– अध्याय पांच तालिका: 5.4.6)

प्रस्तुत बार चित्रण में हितग्राहियों द्वारा अतिरिक्त आमदनी हेतु अपने पम्प किराये पर देने की स्थिति दर्शाई गई है। विश्लेषण अनुसार 4 प्रतिशत हितग्राही ही अपने डीजल पम्प किराये पर देते हैं, 96 प्रतिशत हितग्राही अपने पम्प किराये पर नही देते। जिलेवार आंकलन में अपने पंप किराये पर देने की स्थिति सिर्फ शहडोल जिले में (8 प्रतिशत) ही निकलकर आई है, बैतूल में यह संख्या निरंक है। डीजल पंप किराये पर देने से हितग्राही औसतन रू. 3800 की अतिरिक्त वार्षिक आमदनी पंप के किराये से प्राप्त हुई है।

बार चित्रण क्रमांक –3.4.6 डीज़ल पंप किराए पर देने की स्थिति

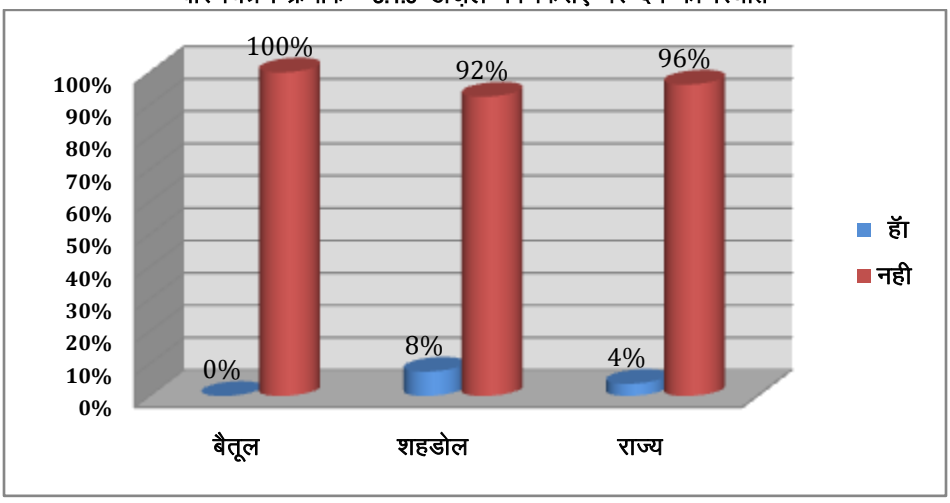

3.4.7 डीजल पम्प के रख–रखाव की समस्या (संदर्भ– अध्याय पांच तालिका: 5.4.7)

बार चित्रण क्रमांक –3.4.7 डीज़ल पंप के रख–रखाव की समस्या

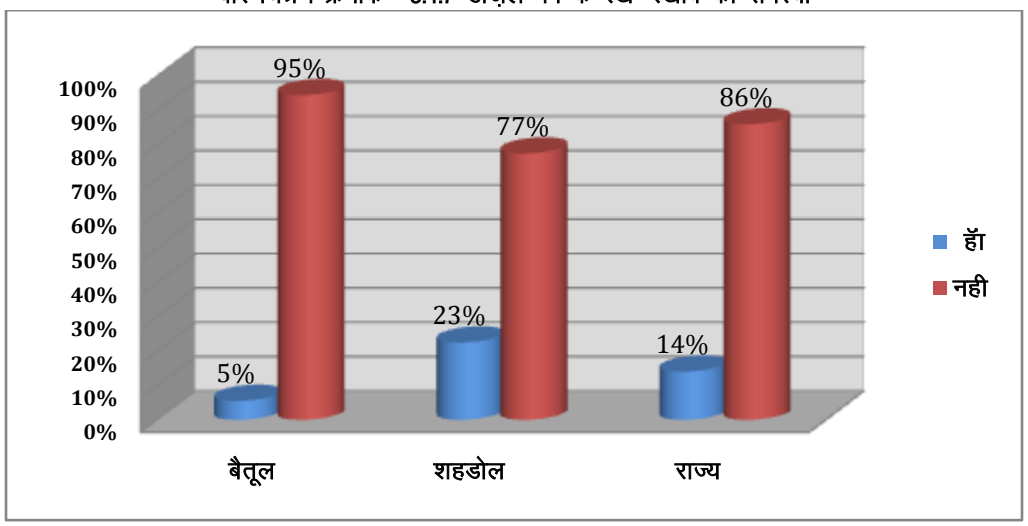

प्रस्तुत बार चित्रण में डीजल पम्प के रख–रखाव संबंधी समस्या की स्थिति को दर्शाया गया है। विश्लेषण अनुसार अधिकांश हितग्राहियों (86 प्रतिशत) को पम्प के रख–रखाव से संबंधित कोई समस्या नहीं आती है। जिलेवार विश्लेषण में बैतूल की तुलना में शहडोल में रख–रखाव संबंधी समस्या का सामना करने वाले हितग्राहियों का प्रतिशत अधिक है।

3.4.8 पंप रख–रखाव में आने वाली समस्याओं का विवरण (बहुविकल्पीय) (संदर्भ– अध्याय पांच तालिका: 5.4.8)

प्रस्तुत बार चित्रण में पम्प के रख–रखाव में आने वाली समस्याओं का विवरण दर्शाया गया है। विश्लेषण अनुसार जिन 14 प्रतिशत हितग्राहियों को रख–रखाव संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा उनमें से 84 प्रतिशत को पम्प मरम्मत के लिए मैकेनिक की उपलब्धता एवं 21 प्रतिशत को पम्प मरम्मत के लिए स्पेयर पार्टस की उपलब्धता की समस्या का सामना करना पड़ा। 7 प्रतिशत हितग्राहियों को रख–रखाव से जुड़ी अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

बार चित्रण क्रमांक –3.4.8 पंप रख–रखाव में आने वाली समस्याएँ

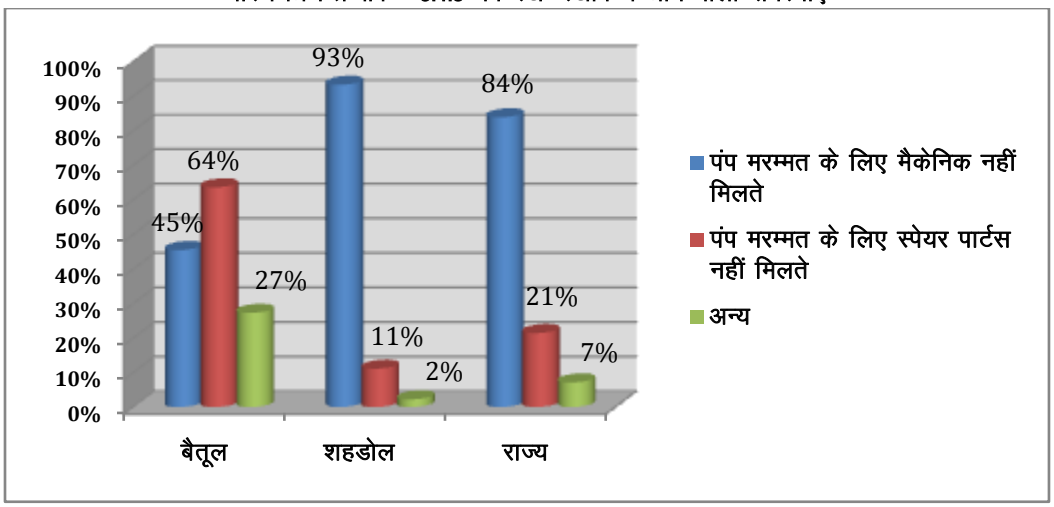

3.5 योजना में सुधार के संबंध में हितग्राहियों के सुझाव

- पंप के चयन में कृषि विभाग का दबाब रहता है उसको पूरी तरह से खत्म होना चाहिए एवं पंप स्वेच्छा से अपनी पंसद का लेने की स्वतंत्रा होनी चाहिए।
- हितग्राहियों के चयन में ग्रामसभा की सहभागिता होनी चाहिए तथा बी.पी.एल. श्रेणी के कृषको को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- पंप स्थापित होने के बाद कृषि विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आते उन्हें क्षेत्रीय भ्रमण करना चाहिए।
- जिले में पंप मरम्मत की एक शासकीय दुकान होनी चाहिए।
- शासकीय योजनाओं के अंतर्गत दिये गये सामग्रियों की सतत जांच व निगरानी की जानी चाहिए।
- पम्प के साथ पाईप सेट भी दिया जाना चाहिए।
- प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।
- अनुदान की राशि बढ़ाई जानी चाहिए।

अध्याय चार–निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

निष्कर्ष

4.1 डीज़ल पम्प योजना के क्रियान्वयन की स्थिति

4.1.1 हितग्राहियों का चयन

- चयनित हितग्राहियों में 99 प्रतिशत की आय का मुख्य स्त्रोत खेती होना, सभी के हितग्राहियों के पास सिंचाई स्त्रोतों की उपलब्धता होना एवं 98 प्रतिशत हितग्राहियों में सिचांई स्त्रोतों में 06 माह या इससे अधिक समय तक पानी की उपलब्धता होना, लघु एवं सीमान्त कृषको का प्रतिशत 65 होना, सही हितग्राही चुने जाने का प्रतीक है।
- हितग्राही चयन का एक अन्य मापदण्ड आवंटन जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में होना है। बैतूल एवं शहडोल जिलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्रमशः 10.6 एवं 39.4 तथा 7.4 एवं 44.5 है। परंतु इन जिलों में अनूसचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों का प्रतिशत इस समुदाये की जिले में जनसंख्या के अनुपात में नहीं है।
- हितग्राहियों में ए.पी.एल. श्रेणी के हितग्राहियों की बाहुल्यता (72 प्रतिशत) है। बैतूल जिले में ए.पी.एल. हितग्राहियों का प्रतिशत 90 है, जो चिन्तनीय है। योजना का एक मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कृषकों को सम्पन्न कर उनमें आत्मविश्वास की भावना का बढाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बी.पी.एल. श्रेणी के कृषको को प्राथमिकता दिया जाना उचित होगा ।

4.1.2 हितग्राही चयन में ग्रामसभा की सहभागिता

- अध्ययन अनुसार 60 प्रतिशत हितग्राहियों के चयन में ग्रामसभा की भूमिका दृष्टिगोचर नहीं हुई है। बैतूल जिले में यह स्थिति ज्यादा चिंताजनक है जहां 67 प्रतिशत हितग्राहियों के चयन में ग्रामसभा की कोई भूमिका नहीं रही है, जबकि शहडोल में यह प्रतिशत 52 है।

4.1.3 पंप की गुणवत्ता, क्रय करने के स्थान की स्वतंत्रता

- शत प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा आई.एस.आई. मार्क के पंप क्रय किये गये है जो कि योजना की गुणवत्ता बनाये रखने का द्योतक है।
- यद्यपि 95 प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा बताया गया है कि उन्हें किसी एंजेसी विशेष से पंप खरीदने हेतु बाध्य नहीं किया गया है, परंतु 90 प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा शासकीय एंजेसी (एम.पी. एग्रो) से पंप क्रय किये है एवं मात्र 10 प्रतिशत हितग्राहियों ने ही खुले बाजार से पंप क्रय किये है। इससे प्रतीत होता है कि शासकीय एंजेसी से पंप खरीदने हेतु अनाधिकारिक रूप से दबाब था, जो कि उचित नहीं है। पंप क्रय करने के स्थान की हितग्राही को स्वतंत्रता होनी चाहिए।
- जिन 5 प्रतिशत हितग्राहीयों को एंजेसी विशेष से पंप क्रय करने के लिए बाध्य किया गया है उनमे से 90 प्रतिशत हितग्राहीयों अनुसार विभागीय अमले द्वारा इस हेतु दबाब बनाया गया, जबकि 10 प्रतिशत हितग्राहियों को ग्राम पंचायत द्वारा बाध्य किया गया।

4.2 योजना की प्रभावशीलता

- हितग्राहियों को डीज़ल पम्प प्राप्त होने के बाद उनकी सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि हुई है। जहॉ योजना का लाभ लेने के पहले हितग्राहियों की सिंचित भूमि का रकवा औसतन 52 था, पम्प प्राप्ति के बाद यह रकवा बढकर लगभग 75 प्रतिशत हो गया है, जो कि योजना के मूल उद्देश्य की प्रतिपूर्ति का संकेत है। सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि की स्थिति शहडोल जिले में अपेक्षाकृत अधिक है।
- फसलों के उत्पादन में वृद्धि का आंकलन करने पर भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। योजना का लाभ लेने के उपरांत हितग्राहियों के गेहूँ उत्पादन में 76 प्रतिशत, धान उत्पादन में 52 प्रतिशत एवं दलहन तथा सोयाबीन में क्रमशः 98 एवं 41 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है। यहॉ भी शहडोल ज़िले की स्थिति बैतूल की तुलना में बेहतर है।

- 90 प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा शासकीय एजेन्सी से पंप खरीदे गये है। शत्–प्रतिशत् हितग्राहियों द्वारा आई.एस.आई मार्क के पम्प खरीदा जाना योजना की गुणवत्ता बनाए रखने का द्योतक है, लेकिन 6 प्रतिशत हितग्राहियों को (10 प्रतिशत शहडोल एवं 2 प्रतिशत बैतूल) किसी ऐजेन्सी विशेष से पंप खरीदने हेतु बाध्य करना निर्णय लेने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है एवं अनुचित प्रतीत होता है।
- 54 प्रतिशत हितग्राहियों को 10 कि0 मी0 के अंदर डीज़ल पंप की उपलब्धता है, जो सुविधा एवं आवश्यकता के मान से सकारात्मक स्थिति है। डीजल पंप प्राप्त करने में अधिकांश (84 प्रतिशत) हितग्राहियों को कोई परेशानी नहीं हुई है एवं मात्र 16 प्रतिशत हितग्राहियों को डीजल प्राप्त करने में परेशान महसूस हुई है।
- यद्यपि अधिकांश (86 प्रतिशत) हितग्राहियों को पम्प रख–रखाव संबंधी कोई पेरशानी नहीं आती है, परंतु जिन 14 प्रतिशत हितग्राहियों को रख–रखाव संबंधी परेशानी हुई है, उनमे पंप मरम्मत हेतु मैकेनिक न मिलना एवं स्पेयर पार्टस की समस्या मुख्य है।

अनुशंसाएँ

4.3 हितग्राही चयन

- हितग्राही चयन में ग्राम सभा की सहभागिता को बढ़ाया जाना चाहिए। समूह चर्चा में भी ग्रामवासियों द्वारा इस संबंध में सुझाव दिया गया है।
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों का प्रतिशत योजना के मापदण्ड अनुसार कम से कम जिले में इन समुदाय की जनसंख्या के अनुरूप होना चहिए।
- बी.पी.एल. तथा लघु एवं सीमान्त कृषको को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए जिससे कि योजना की भावना के अनुरूप आर्थिक रूप से कमजोर कृषको में आत्मविश्वास की भावना पैदा की जा सके।

4.4 पंप क्रय हेतु स्थान चयन की स्वतंत्रता एवं रख–रखाव व्यवस्था

- आँकडों के विश्लेषण तथा समूह चर्चा में परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से हितग्राही के पंप क्रय हेतु स्थान चयन की स्वतंत्रता को प्राभावित किये जाने की बात सामने आई है। इस प्रक्रिया पर अंकुश लगाया जााना चाहिए।
- डीजल पंप के रख–रखाव में मुख्य समस्यां मरम्मत हेतु मैकेनिक न मिलना एवं स्पेयर पार्टस की उपलब्धता सामने आई है। इस समस्या को दूर करने के लिए पंचायत स्तर पर 4–5 हितग्राहियों को डीज़ल पंप मरम्मत से संबंधित मूलभूत प्रशिक्षण दिया जा सकता है, ताकि पंप मरम्मत के लिए हितग्राहियों को परेशान न होना पड़े।
- विभागीय अमले द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान रख–रखाव संबंधी समस्याओं के समुचित मार्ग दर्शन एवं समन्वय का कार्य किया जाना चाहिए।

4.5 प्रचार–प्रसार एवं विभाग की योजनाओं के साथ अभिसरण (कन्वर्जेंस)

- हितग्राही चयन करते समय विभाग द्वारा इसी उद्देश्य के लिए संचालित अन्य योजनाओं जैसे–सूरजधारा योजना के हितग्राही जिनके पास सिंचाई साधनों की उपलब्धता है, के साथ Convergence किया जा सकता है जिससे दोनों योजनाओं के मूल उद्देश्यों की पूर्ति ज्यादा बेहतर और सुदृढ़ ढंग से हो सके।
- समूह चर्चा के दौरान हितग्राहियों में योजना के बारे में जानकारी की कमी पाई गई है। अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं उसकी अन्य उपयोजनाओं के बारे में कृषकों में प्रचार–प्रसार को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए।

अध्याय पॉच–परिशिष्ट एक

5.0 उत्तरदाताओं की प्रस्थिति

5.1 उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति

तालिका 5.1.1 जातिवार विवरण

जिला	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	योग
बैतूल	9%	29%	55%	7%	100%
शहडोल	7%	38%	28%	27%	100%
राज्य	8%	34%	42%	16%	100%

तालिका 5.1.2 शैक्षिक विवरण

जिला	अशिक्षित	प्रायमरी (5वीं तक)	माध्यमिक (8वीं तक)	हाईस्कूल (10वी तक)	हायर सेकण्डरी (12वी तक)	स्नातक एवं अधिक	योग
बैतूल	27%	27%	15%	11%	14%	7%	100%
शहडोल	33%	17%	12%	10%	16%	12%	100%
राज्य	30%	22%	12%	11%	15%	10%	100%

5.2 उत्तरदाताओं की आर्थिक पृष्ठभूमि

तालिका 5.2.1 आर्थिक श्रेणीवार विवरण

जिला	एपीएल	बीपीएल	योग
बैतूल	90%	10%	100%
शहडोल	54%	46%	100%
राज्य	72%	28%	100%

तालिका 5.2.2 आय के मुख्य स्रोत (बहुविकल्पीय)

जिला	नौकरी	स्वरोजगार	खेती	मजदूरी	अन्य
बैतूल	4%	1%	99%	28%	2%
शहडोल	17%	31%	98%	37%	8%
राज्य	11%	16%	99%	33%	5%

तालिका 5.2.3 मासिक आय की स्थिति

जिला	3000 तक	3,001–5000	5,001–10,000	10,001–15,000	15,001 से अधिक	योग
बैतूल	25%	39%	31%	4%	1%	100%
शहडोल	44%	34%	13%	5%	4%	100%
राज्य	35%	36%	23%	4%	2%	100%

तालिका 5.2.4 सिंचाई स्रोतों का विवरण

जिला	कुऑ	तालाब	नहर	अन्य	योग
बैतूल	93%	2%	0%	5%	100%
शहडोल	60%	26%	6%	8%	100%
राज्य	76%	14%	3%	7%	100%

तालिका 5.2.5 सिंचाई साधनों में जल उपलब्धता की स्थिति

जिला	3 माह (सितम्बर से नवंबर)	6 माह (सितम्बर से फरवरी)	9 माह (सितंबर से जून)	योग
बैतूल	3%	91%	6%	100%
शहडोल	0%	30%	70%	100%
राज्य	2%	61%	37%	100%

तालिका 5.2.6 हितग्राहियों का कृषक श्रेणी वर्गीकरण

जिला	सीमांत कृषक	लघु कृषक	सामान्य कृषक	बड़े कृषक
बैतूल	9%	58%	20%	14%
शहडोल	5%	60%	16%	20%
राज्य	7%	59%	18%	17%

5.3. योजना कियान्वयन की स्थिति

तालिका 5.3.1 हितग्राही चयन में ग्रामसभा की भूमिका

जिला	हॉ	नही	योग
बैतूल	33%	67%	100%
शहडोल	48%	52%	100%
राज्य	40%	60%	100%

तालिका 5.3.2 हितग्राहियों द्वारा पंप खरीदने का स्थान

जिला	शासकीय ऐजेन्सी	खुले बाजार से	योग
बैतूल	81%	19%	100%
शहडोल	98%	2%	100%
राज्य	90%	10%	100%

तालिका 5.3.3 हितग्राहियों द्वारा पंप खरीदने की एजेन्सी

जिला	एम.पी. एग्रो	कृषि एजेंसी बैतूल	न्यू ज्योति कृषि गंज बैतूल	अन्य
बैतूल	81%	11%	6%	2%
शहडोल	99%	0%	0%	1%
राज्य	90%	6%	3%	1%

तालिका 5.3.4 हितग्राहियों के पंप की क्षमता (हार्स पॉवर)

जिला	2 हॉर्स पावर	3 हॉर्स पावर	4 हॉर्स पावर	5 हॉर्स पावर	10 हॉर्स पावर
बैतूल	1%	3%	25%	71%	2%
शहडोल	15%	17%	20%	48%	0%
राज्य	8%	10%	23%	59%	1%

तालिका 5.3.5 हितग्राहियों द्वारा क्रय किये गये पंप की कीमत

जिला	10001-15000	15001-20000	20001-25000	25001-30000
बैतूल	1%	23%	32%	44%
शहडोल	12%	30%	27%	31%
राज्य	7%	27%	30%	38%

तालिका 5.3.6 हितग्राहियों को किसी स्थान विशेष से पंप खरीदने की बाध्यता

जिला	हॉ	नही	योग
बैतूल	1%	99%	100%
शहडोल	10%	90%	100%
राज्य	5%	95%	100%

तालिका 5.3.7 बाध्य किये जाने में संस्थाओं की भूमिका

जिला	कृषि विभाग	पंचायत	किसी अन्य द्वारा	योग
बैतूल	91%	9%	0%	100%
शहडोल	89%	11%	0%	100%
राज्य	90%	10%	0%	100%

तालिका 5.3.8 डीजल पम्प की गुणवत्ता (आई.एस.आई.मार्क) की स्थिति

जिला	हॉ	नही	योग
बैतूल	100%	0%	100%
शहडोल	100%	0%	100%
राज्य	100%	0%	100%

तालिका 5.3.9 पंप क्रय के अतिरिक्त अन्य स्थान पर राशि खर्च किये जाने की स्थिति

जिला	हॉ	नही	योग
बैतूल	0%	100%	100%
शहडोल	0%	100%	100%
राज्य	0%	100%	100%

5.4 योजना की प्रभावशीलता

तालिका 5.4.1 योजना उपरांत सिंचित भूमि के रकबे में परिवर्तन की स्थिति

जिला	डीज़ल पंप स्थापित होने से पहले		डीज़ल पंप स्थापित होने के बाद	
	सिंचित भूमि	पड़त भूमि	सिंचित भूमि	पड़त भूमि
बैतूल	43%	57%	60%	40%
शहडोल	60%	40%	89%	11%
राज्य	52%	48%	75%	25%

तालिका 5.4.2 लाभार्थियों के निवास से डीजल/पेट्रोल पम्प की दूरी

जिला	0–5 कि.मी.	5–10 कि.मी.	10–20 कि.मी.	20 कि.मी.से अधिक	योग
बैतूल	8%	34%	46%	12%	100%
शहडोल	16%	52%	21%	11%	100%
राज्य	12%	42%	34%	12%	100%

तालिका 5.4.3 डीजल प्राप्त करने में परेशानी

जिला	हॉ	नही	योग
बैतूल	13%	87%	100%
शहडोल	18%	82%	100%
राज्य	16%	84%	100%

तालिका 5.4.4 योजना उपरांत फसल उत्पादन में वृद्धि की स्थिति

जिला	गेहूँ	धान	दलहन	सोयाबीन
बैतूल	96%	39%	45%	-30%
शहडोल	55%	64%	150%	112%
राज्य	76%	52%	98%	41%

तालिका 5.4.5 योजना का लाभ लेने में आने वाली समस्याओं का विवरण

जिला	हॉ	नही	योग
बैतूल	0%	100%	100%
शहडोल	0%	100%	100%
राज्य	0%	100%	100%

तालिका 5.4.6 डीजल पम्प किराये पर देने की स्थिति

जिला	हॉ	नही	योग
बैतूल	0%	100%	100%
शहडोल	8%	92%	100%
राज्य	4%	96%	100%

तालिका 5.4.7 डीजल पम्प के रख–रखाव की समस्यॉ

जिला	हॉ	नही	योग
बैतूल	5%	95%	100%
शहडोल	23%	77%	100%
राज्य	14%	86%	100%

तालिका 5.4.8 पंप रख–रखाव में आने वाली समस्याओं का विवरण (बहुविकल्पीय)

जिला	पंप मरम्मत के लिए मैकेनिक नहीं मिलते	पंप मरम्मत के लिए स्पेयर पार्टस नहीं मिलते	अन्य
बैतूल	45%	64%	27%
शहडोल	93%	11%	2%
राज्य	84%	21%	7%

परिशिष्ट दो

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल, भोपाल

डीज़ल पम्प योजना के प्रभाव का आंकलन
प्रश्नावली (हितग्राही के लिए)

सर्वेक्षण का दिनांकः– .....

सामान्य जानकारीः–

1. जिला –

जिला		
कोड	1	2

क्र.	विवरण	विकल्प	कोड
1.	विकासखंड का नाम		
2.	गॉव		
3.	हितग्राही का नाम		
4.	जाति	अनु. जाति	01
		अनु. जनजाति	02
		अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		सामान्य	04
5.	श्रेणी	एपीएल	01
		बीपीएल	02
6.	हितग्राही की शैक्षणिक योग्यता	अशिक्षित	01
		प्रायमरी (5वीं तक)	02
		माध्यमिक (8वीं तक)	03
		हाईस्कूल (10वी तक)	04
		हायर सेकण्डरी (12वी तक)	05
		स्नातक एवं अधिक	06
7.	परिवार की आय का मुख्य स्त्रोत (प्राथमिकता क्रम में अधिकतम दो विकल्प लें)	नौकरी (शासकीय/प्राइवेट)	01
		स्वरोजगार	02
		खेती	03
		मजदूरी	04
		अन्य	05
8.	मासिक आय	3000 तक	01
		3,001–5000 तक	02
		5,001–10,000 तक	03
		10,001–15,000 तक	04
		15,001 से ऊपर	05

9.	लाभार्थी के पास उपलब्ध सिंचाई का स्त्रोत	कुऑ	01
		तालाब	02
		नहर	03
		अन्य	04
10.	सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता अवधि	3 माह (सितम्बर से नवंबर)	01
		6 माह (सितम्बर से फरवरी)	02
		9 माह (सितंबर से जून)	03

योजना कियान्वयन से संबंधित जानकारी–

11.	भूमि की उपलब्धता					
		कुल भूमि	सिंचित भूमि	उत्पादित फसलें (नाम लिखें)	पड़त भूमि	उत्पादित फसलें (नाम लिखें)
अ	डीज़ल पंप स्थापित होने से पहले					
ब	डीज़ल पंप स्थापित होने के बाद					

12.	हितग्राही के रूप में चयन ग्रामसभा के माध्यम से हुआ ?	हॉ	01
		नहीं	02
13.	आपने डीज़ल पम्प कैसे खरीदा	किसी शासकीय ऐजेन्सी के माध्यम से	01
		स्वयं, खुले बाजार से	02
13अ	नोटः–यदि ऐजेन्सी के माध्यम से क्रय किया गया है तो ऐजेन्सी का नाम		
14.	क्या डीजल पंप किसी विशेष स्थान से खरीदने हेतु आप पर दबाव डाला गया था?	हॉ	01
		नही	02
15.	यदि हॉ तो किसके द्वारा	कृषि विभाग	01
		पंचायत	02
		किसी अन्य द्वारा	03
16.	डीज़ल पम्प योजना का लाभ लेने के लिए आपको पंप खरीदने के अलावा भी अन्य किसी स्थान पर राशि खर्च करनी पड़ी।	हॉ	01
		नहीं	02
17.	खरीदे गये पम्प का विवरण–		
अ	कंपनी का नाम		
ब	आई.एस.आई.मार्क	हॉ	01
		नहीं	02
स	पम्प की क्षमता (हॉर्स पावर में)		

द	पम्प की कीमत				
18.	डीज़ल/पेट्रोल पंप की आपके गॉव से दूरी	0–5 कि.मी.			01
		5–10 कि.मी.			02
		10–20 कि.मी.			03
		20 कि.मी.से अधिक			04
19.	क्या डीज़ल मिलने में परेशानी आती है?	हॉ			01
		नहीं			02
20.	स्वीकृति प्रक्रिया तथा पंप स्थापना में लगने वाले समय का आंकलन–				
अ	डीज़ल पंप हेतु आवेदन करने की दिनांक				
ब	डीज़ल पंप स्वीकृत होने की दिनांक (सूचना के आधार पर)				
स	डीज़ल पंप स्थापित करने की दिनांक				
द	अनुदान प्राप्त होने की दिनांक				
21.	फसल उत्पादन की स्थिति (क्विंटल में)–	गेहूँ	धान	दलहन	सोयाबीन
	डीज़ल पंप स्थापित होने से पहले				
	डीज़ल पंप स्थापित होने के बाद				
	उत्पादन में वृद्धि (प्रतिशत में)				
22.	क्या इस योजना का लाभ लेने में आपको कोई समस्या आई?	हॉ			01
		नहीं			02
23	यदि हॉ तो किन स्तरों पर – (बहुविकल्पीय)	आवेदन पत्र प्राप्त करने में			01
		आवेदन पत्र भरने में			02
		आवेदन पत्र जमा करने में			03
		हितग्राही सूची में नाम जुड़वाने में			04
		डीज़ल पम्प खरीदने में			05
		अनुदान प्राप्त करने में			06
24.	पंप का उपयोग स्वयं करने के साथ–साथ क्या पंप किराये पर भी देते हैं?	हॉ			01
		नहीं			02
25.	यदि हॉ तो किराए से देने पर वर्षभर में कितनी आमदनी हो जाती है?				
26	पंप के रख–रखाव से संबंधित कोई समस्या रहती है ?	हॉ			01
		नहीं			02
27	यदि हॉ, तो किस तरह की समस्याएं रहती हैं।(बहुविकल्पीय)	पंप मरम्मत के लिए मैकेनिक नहीं मिलते			01
		पंप मरम्मत के लिए स्पेयर पार्टस नहीं मिलते			02
		अन्य			03

28.	इस योजना के सुधार के संबंध में यदि कोई सुझाव हों तो बताएं–	1.
		2.
		3.
		4.

हस्ताक्षर
सर्वेक्षणकर्ता का नाम .....